

मार्च 2023

मूल्य : ₹ 22



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

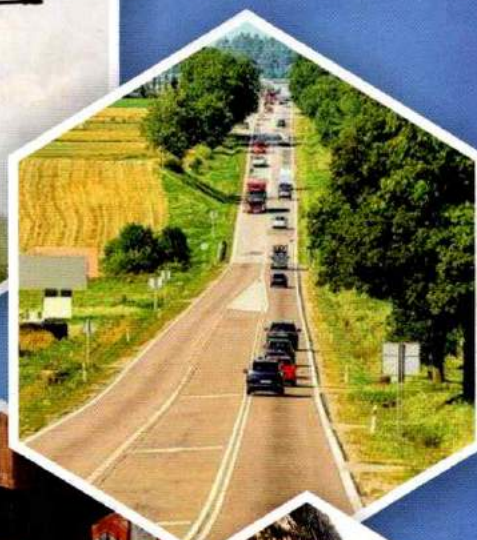
RESERVE BANK OF INDIA
GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT



RESERVE BANK OF INDIA
GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

मैं धारक को
दो सौ रुपये
अदा करने का
बचन देता हूँ।
शुक्तिमान्दादा दास
गवर्नर

I PROMISE TO
PAY THE BEARER
THE SUM OF TWO
HUNDRED RUPEES
Governor





ARE YOU DREAMING TO BE AN

IAS ?

CRACK UPSC IN 1ST ATTEMPT NOW

Our Offerings

- Personal Mentorship 1:1 by Subject Expert
- GS Integrated Live Classes
- Exclusive NCERT Coverage
- Intergrated Prelims Cum Mains + Essay Test Series
- Weekly Test, Revision and Personal Guidance
- **Online/Offline Sessions**

TALK TO US

8410000036, 7065202020, 8899999931

BOOK FREE DEMO SESSION

www.eliteias.in



कुरुक्षेत्र



इस अंक में

वर्ष : 69 ★ मासिक अंक : 05 ★ पृष्ठ : 56 ★ फाल्गुन-चैत्र 1944 ★ मार्च 2023

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.
in/product पर तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play,
Kobo या Amazon पर लॉग-इन करें।

वार्षिक साधारण डाक : ₹ 230

ट्रेकिंग सुविधा के साथ : ₹ 434

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी
सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश

प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

नोट : सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त
होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई-मेल :
pdjucir@gmail.com या दूरभाष : 011-24367453
पर संपर्क करें।



कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार
लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी
दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि
कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में
विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें।
पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के
लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

मार्च 2023

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला दूरदर्शी बजट 5

-श्री नरेंद्र सिंह तोमर

आत्मनिर्भर भारत के लिए सप्तऋषि संकल्पना 8

-डॉ. के.के. त्रिपाठी

खाद्य और पोषण सुरक्षा 14

-परमेश्वर लाल पोद्दार

ग्रामीण अवसंरचना विकास 19

-अरविंद कुमार सिंह

डिजिटल ढांचे के विकास पर फोकस 24

-बालेन्दु शर्मा दाधीच

युवाओं में कौशल विकास पर जोर 30

-सतीश सिंह

शिक्षा में समावेशी विकास के प्रयास 35

-राशि शर्मा, पूरबी पटनायक

संतुलित स्वास्थ्य बजट 43

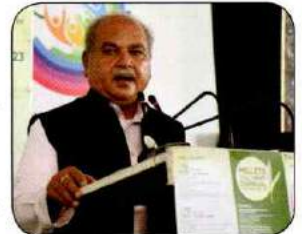
-डॉ. मनीष मोहन गोरे

सहकारिता की नींव होगी सुदृढ़ 47

-नीलमेघ चतुर्वेदी

समग्र कृषि विकास का लक्ष्य 51

-डॉ. के. एन. तिवारी एवं हिमांशी तिवारी



प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुडा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैच्युन टॉवर, चौथी मंजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

“अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट वंचितों को वरीयता देता है। यह बजट आज के आकांक्षी समाज, गरीबों, गाँवों और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा।” बजट पर प्रधानमंत्री के ये उद्गार संक्षेप में बजट की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त हैं। निसंदेह अमृतकाल का पहला बजट एक संतुलित दस्तावेज है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। साथ ही, देश की अर्थव्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। इस बजट में नई प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा भी की गई है। इससे खेती के साथ-साथ दूध एवं मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा और किसानों, पशुपालन में संलग्न लोगों तथा मछुआरों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे। कृषि लोन लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही, अगले तीन साल तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी। बजट में डिजिटल कृषि बुनियादी ढांचे की एक बड़ी योजना की भी घोषणा की गई है।

दुनिया अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मना रही है। ऐसे में मोटे अनाज को विशेष पहचान देने के लिए इस सुपरफूड को ‘श्री-अन्न’ नाम से एक नई पहचान दी गई है। श्री अन्न के उत्पादन से देश के नागरिकों को स्वस्थ जीवन के साथ-साथ छोटे किसानों और आदिवासी किसानों को आर्थिक संबल भी मिलेगा।

इस बजट में प्रौद्योगिकी और अवसंरचना विकास पर काफी जोर दिया गया है। वर्ष 2014 की तुलना में बुनियादी ढांचे में निवेश 400 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। बुनियादी ढांचे पर दस लाख करोड़ का अभूतपूर्व निवेश भारत के विकास को नई ऊर्जा और गति देगा। इन निवेशों से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डिजिटल अवसंरचना के विकास के साथ-साथ पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु बजट में जोर दिया गया है।

एमएसएमई उद्यमियों के लिए सरकार की ओर से एक कॉर्पस बनाया गया है जिसमें 9,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना को 1 अप्रैल, 2023 से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उद्यमियों को दो लाख करोड़ रुपये के कोलैटरल-फ्री गारंटीयुक्त ऋण दिए जा सकेंगे।

युवाओं के कौशल विकास के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा भी बजट में की गई है। सरकार पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी लाई है जो करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी।

महिला स्वयंसहायता समूह, जोकि अपार क्षमता वाला एक क्षेत्र है, को और अधिक मजबूत किया जाएगा। नए बजट में महिलाओं के लिए महिला सम्मान विकास पत्र की एक नई विशेष बचत योजना की शुरुआत की गई है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपये की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। मध्यम वर्ग को भी कर छूट की सीमा बढ़ाई गई है।

संक्षेप में, यह बजट भारत के टिकाऊ भविष्य के लिए हरित अर्थव्यवस्था, हरित विकास और हरित अवसंरचना विकास के साथ-साथ हरित रोजगार को भी अभूतपूर्व विस्तार देगा। यानी भारत के 2070 तक कार्बन शून्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस बजट में भारत की हरित यात्रा हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।



भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला दूरदर्शी बजट

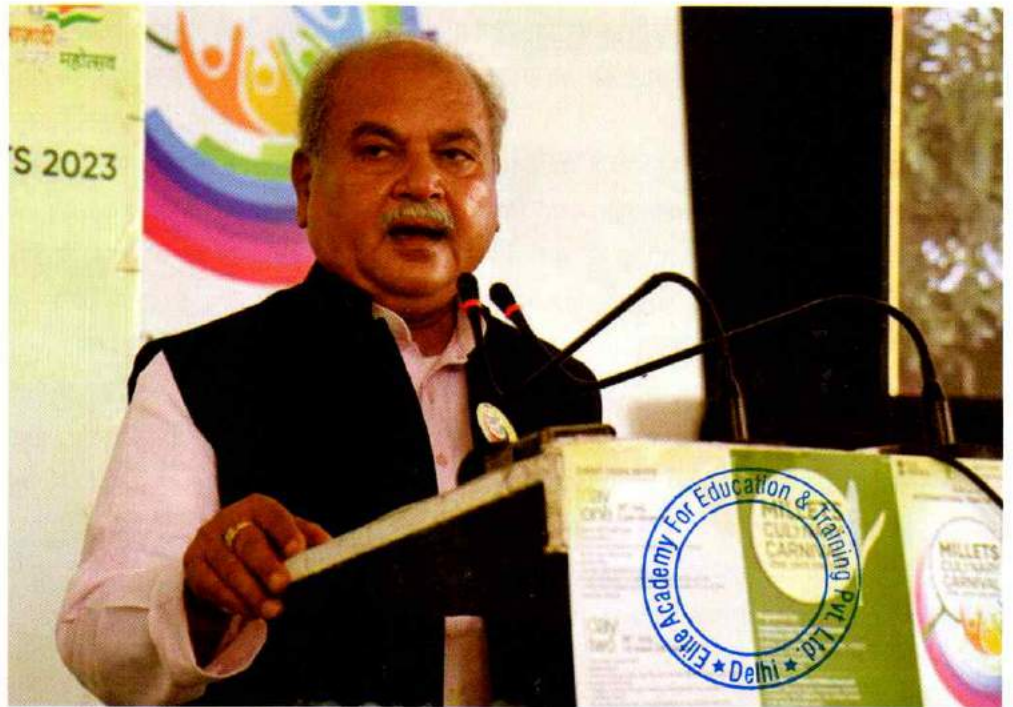
-श्री नरेंद्र सिंह तोमर

अमृतकाल का यह पहला बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है। बजट में किसानों के साथ ही गरीब व मध्यम वर्ग और महिलाओं से लेकर युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का समावेश किया गया है। इस बजट में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए किए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के कारण निश्चित रूप से ग्रामीण भारत की बुनियाद और मजबूत होगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट ऐतिहासिक, दूरदर्शी व देश की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है। लोग भूले नहीं हैं कि कोविड-19 महामारी ने किस तरह से दुनिया पर प्रतिकूल असर डाला, जिसके कारण आज भी अनेक देश विभिन्न संकटों से जूझ रहे हैं। वहीं हमारे विशाल देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व ने अत्यंत कुशलतापूर्वक व बड़ी सूझबूझ से ऐसा संभाला, जिससे कि कोरोना महामारी के असर से देश कमोबेश उबर गया है।

यह हमारे देश की वास्तविक प्रगति ही मानी जाएगी कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। दुनिया के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के बीच भारत सरकार द्वारा इतना बड़ा बजट पेश करना दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा संकेत है कि भारत विकास के पथ पर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मोदी सरकार द्वारा पिछले लगभग साढ़े 8 साल में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के परिणामस्वरूप हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले दिनों में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस दिशा में भी केंद्र सरकार के इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से होने वाला है।

रक्षा, गृह, रेल, रोड, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, सहकारिता सहित सभी क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में इस बजट में समाहित किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, बुनियादी सुविधाओं में इजाफा हो, गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की ताकत बढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी में हम आगे हो, इस दिशा में बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। बजट से छोटे किसानों को काफी लाभ होगा, वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप बजट में कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है ताकि किसानों को दीर्घकाल तक व्यापक लाभ मिलें। बजट में पशुपालकों, डेयरी व



लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार हैं।

ई-मेल : agrimin.india@gmail.com



केन्द्रीय
बजट
2023-24

हरित विकास

जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर

- सतत कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत
- राज्यों/केंद्रशासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम-प्रणाम की शुरुआत
- गोबरधन योजना के तहत 500 नए 'अपशिष्ट से आमदनी' संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा
- मिश्रटी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधरोपण की शुरुआत
- आद्रभूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन वर्षों में अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा

प्रणाम: पृथ्वी माता पुनर्जन्म, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम मिश्रटी: तटीय पर्यावरण और तेल आमदनी के लिए मैंग्रोव फल

@PIB_india @PIBIndia @pibindia @pibindia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia

मत्स्यपालकों हेतु ऋण की निधि बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार 1.25 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो निश्चित रूप से ग्रामीण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि के साथ मील का पत्थर साबित होगा, जबकि वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय (डेयरी सहित) व मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय का संयुक्त बजट सिर्फ 30223.88 करोड़ रुपये था।

सरकार द्वारा हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के जरिए विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत वर्ष की राशि 70 करोड़ रुपये को बढ़ाकर अब 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि के लिए डिजिटल अवसंरचना को एग्रीटेक उद्योग एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सहयोग प्रदान करने तथा किसान केंद्रित समाधान के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों का कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना कोई साधारण बात नहीं है। हमारा सहकारिता क्षेत्र गाँव-गाँव में फैला हुआ है। सहकारिता कृषि पूरक है, जो परस्पर एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करेंगे।

प्राकृतिक खेती की पद्धति गौ-आधारित है। प्राकृतिक खेती बढ़ेगी तो गौवंश का भी पूरा-पूरा उपयोग होगा। पशुपालन किसानों की अतिरिक्त आमदनी का अहम स्रोत है, जो प्राकृतिक खेती के

माध्यम से सशक्त होगा। प्राकृतिक खेती को देश में जनांदोलन का स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है और इसे बढ़ावा देने के लिए इस बजट में 459 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी एवं उनकी सहायता करेगी, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 10 हजार बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

हमारे देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से काफी लाभ पहुँचाया गया है। हमारे इन छोटे किसान भाइयों-बहनों को केसीसी द्वारा इसी तरह सतत लाभ मिलता रहे, जिसके लिए इस बार 23 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की नई उप-योजना 6 हजार करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी, ताकि मछली पालक, मत्स्य विक्रेता, सूक्ष्म-लघु उद्योग अधिक सक्षम बनें। इससे मूल्य शृंखला दक्षता में सुधार लाकर बाजार तक पहुँच बढ़ाई जाएगी।

छोटे-मझोले किसानों को कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के जरिए संगठित कर उन्हें खेती-किसानी से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है, जिसके लिए देशभर में 10 हजार नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं। ये एफपीओ इन छोटे-मझोले किसानों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, जिसका लाभ इन किसानों को मिलने लगा है। आगे भी यही गतिशीलता बनी रहे, इसके लिए नए एफपीओ के गठन के संबंध में 955 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान इस साल किया गया है। एफपीओ के माध्यम से किसान संगठित रूप से खेती करेंगे तो उन्हें कम लागत में अच्छे आदानों के साथ अधिक उपज मिलेगी, दाम अच्छा मिलेगा।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है, जिसके लिए बजट बढ़ाकर 1623 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री किसान

‘सहकार से समृद्धि’ के मूलमंत्र के साथ सरकार

सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी। इन सबका हमारी वृहद् अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के व्यापक विकास में भी सहायता मिलेगी।

देश को 'श्री अन्न' का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में की गई घोषणानुरूप मिलेट्स को 'श्री अन्न' नाम से जाना जाएगा। 'श्री अन्न' को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों में भारत, विश्व में सबसे आगे है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष भारत की अगुवाई में मनाया जा रहा है।

सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 60 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने के लक्ष्य के साथ युवा उद्यमियों के बीच कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापना की जाएगी, जिसके लिए अगले 5 साल हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भी एग्री स्टार्टअप्स को केंद्र द्वारा वित्तीय मदद दी जा रही है।

उद्यानिकी के लिए बजट राशि 1100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपये की गई है, वहीं आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक खर्च से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोगमुक्त-गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य से किया जाएगा।

चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एगो रिसोर्सिज धन) नामक योजना



अमृतकाल के लिए विज़न

सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था

- युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए बगैरिकों के लिए अवसर
- रोज़गार सृजन में वृद्धि
- मजबूत एवं स्थिर वृहत-आर्थिक वातावरण



@PIB_india @PIBHindi @pibindia @pibindia @PIB_india @PIBHindi @PIBHindi

के तहत 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक व बायोजैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्र.श. का कम्प्रेस्ड बायोजैस अधिशेष लाया जाएगा, जो ग्रामीण भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सतत लघु सिंचाई एवं पेयजल टंकियों को भरने के लिए भद्र परियोजना के अंतर्गत 5300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांवों में बुनियादी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निरंतर बढ़ता कवरेज किसानों के लिए बहुत राहतदायी है। 'सहकार से समृद्धि' के मूलमंत्र के साथ सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी। इन सबका हमारी वृहद् अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के व्यापक विकास में भी सहायता मिलेगी।

कुल मिलाकर, भारतीय कृषि को और उन्नत व किसानों को समृद्ध बनाने के लिए किए जा रहे चौतरफा उपाय, जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान-जय अनुसंधान के मंत्र के साथ निश्चित रूप से देश की आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर अमृतकाल तक सुनहरे पृष्ठों के साथ स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे।



कृषि और सहकारिता

समावेशी विकास

- कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण-वित्त वर्ष 2022 में 186 लाख करोड़ रुपये
- ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार : स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि
- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य
- अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करना
- भारत को श्री अन्न (मोटे अनाज) का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग



@PIB_india @PIBHindi @pibindia @pibindia @PIB_india @PIBHindi @PIBHindi

आत्मनिर्भर भारत के लिए सप्तऋषि संकल्पना

-डॉ. के.के. त्रिपाठी

कृषि को स्मार्ट, आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार और समावेशी बनाने के गंभीर और समयबद्ध प्रयास किए गए हैं। बजट में समुदाय के नेतृत्व वाले सहकारी विकास के मॉडल में भरोसा जताया गया है और विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे ग्रामीण रोजगार, कृषि प्रौद्योगिकी सुधार/पुनरुद्धार/लिंगेज, पोषक अनाज केंद्रित विकास, स्मार्ट और आधुनिक कृषि पद्धतियों में नए प्रस्ताव और घोषणाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः ऊर्जावान बनाने की दिशा में बजट के रुख को दर्शाती हैं।

बजट 2023-24 को सात प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में बांटा गया है जो इन क्षेत्रों से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की केंद्र सरकार की नीतिगत मंशा को रेखांकित करता है। ग्रामीण रोजगार पहलों, कृषि एवं संबंधित कार्यों जिसमें खेती सहित पशुपालन, मुर्गी पालन और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। खाद्य भंडारण, मालगोदाम और ग्रामीण आवास के लिए संसाधनों का अधिक आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के प्रमुख वाहकों में बदलने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। खरीदारों की बढ़ती मांग एवं समान और स्थायी रोजगार सृजन के साथ-साथ प्राथमिकता वाली गतिविधियों में वृद्धिशील, सुनियोजित, प्रतिभागी और योजनाबद्ध सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित करते हुए बजट आर्थिक गतिविधियों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करता है। कृषि को स्मार्ट, आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार और समावेशी बनाने के गंभीर और समयबद्ध प्रयास किए गए हैं। बजट में समुदाय के नेतृत्व वाले सहकारी विकास के मॉडल में भरोसा जताया गया है और विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे ग्रामीण रोजगार, कृषि प्रौद्योगिकी सुधार/पुनरुद्धार/लिंगेज, पोषक अनाज केंद्रित विकास, स्मार्ट और आधुनिक कृषि पद्धतियों में नए प्रस्ताव और घोषणाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः ऊर्जावान बनाने की दिशा में बजट के रुख को दर्शाती हैं।

केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणाओं से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 राष्ट्र के सामने पेश किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि का अनुमान लगाते हुए सर्वेक्षण ने कोविड-उपरांत दौर में भारत के अंतर्निहित आर्थिक लचीलेपन और विकास चालकों की क्षतिपूर्ति करने, सशक्त बनाने और

पुनः सक्रिय करने की क्षमता पर प्रकाश डाला। इसने समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में कृषि और ग्रामीण विकास के महत्व को रेखांकित किया। भारतीय कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों के दौरान 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में इसमें 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस पृष्ठभूमि में यह लेख बजट 2023-24 में प्राथमिकता दिए जाने वाले कृषि तथा ग्रामीण आजीविका और रोजगार संबंधी कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करके भारत सरकार की अंतर्निहित नीति की दिशा और सामाजिक-



सप्तऋषि बजट 2023-2024 की 7 प्राथमिकताएं



[@PIB_India](#)
[@PIBHindi](#)
[@pibindia](#)
[@pibindia](#)
[@pibindia](#)
[@PIB_India](#)
[@PIBHindi](#)
[@PIBHindi](#)

लेखक गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय में ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : tripathy123@rediffmail.com

आर्थिक मंशा की व्याख्या करने का प्रयास करता है।

प्राथमिकता क्षेत्रों पर पुनः ध्यान केंद्रित करना

बजट भाषण में सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया और इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के इरादों को रेखांकित किया गया। संपूरकता सुनिश्चित करते हुए बजट ने (i) समावेशी विकास; (ii) लक्षित उपभोक्ताओं को जोड़ना और अंतिम व्यक्ति तक पहुँच; (iii) बुनियादी ढाँचे और निवेश में वृद्धि; (iv) अंतर्निहित उत्पादक क्षमता को उजागर करने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी लाना; (v) हरित विकास आधारित युक्तिपूर्ण पहलों के विकास और उन पर बल देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को घटाना; (vi) युवा शक्ति की खोज करना एवं उसे मजबूती प्रदान करना और आर्थिक विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना; और (vii) प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के संकल्प को व्यक्त किया। बजट घोषणाओं में युवाओं की भागीदारी की परिकल्पना करते हुए और ग्रामीण रोजगार एवं आय वृद्धि को प्रोत्साहित करते हुए कृषि को भविष्य के लिए तैयार करने और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया है।

बजट आवंटन की समीक्षा

2022-23 के संशोधित अनुमान (आरई) और बजट अनुमान (बीई) की समीक्षा (तालिका-1) से ज्ञात होता है कि ग्रामीण रोजगार पहल, कृषि कर्म जिसमें खेती और पशुपालन, मुर्गीपालन और अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं, खाद्य भंडारण तथा मालगोदाम और आवास को अधिक आवंटन मिला। यह इन गतिविधियों के कार्यान्वयन प्राधिकरणों की अवशोषण क्षमता को दर्शाता है। ग्रामीण रोजगार को 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट अनुमान में 22.46 प्रतिशत की वृद्धि मिली, कृषि एवं संबंधित कार्यों, खाद्य भंडारण एवं मालगोदाम और आवास के लिए क्रमशः 15.15 प्रतिशत, 34.17 प्रतिशत और 73.87 प्रतिशत का अंतर दर्ज किया गया। इस तरह के बढ़े हुए संसाधन आवंटन का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन, आय और धन सृजन और ग्रामीण भारत में समग्र उपभोग की मांग में वृद्धि करना है।

वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए आरई और बीई की समीक्षा इंगित करती है कि आवंटन में वृद्धि (तालिका-2 के कॉलम 9 और 11) के संदर्भ में कौशल विकास और उद्यमिता (एसडीई) को प्राथमिकता दी गई है जिसके बाद उसी क्रम में ग्रामीण विकास (आरडी); कृषि अनुसंधान और शिक्षा (एआरई); पशुपालन और डेयरी (एएचडी); सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई); महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) तथा कृषि और किसान कल्याण (एफडब्ल्यू) को वरीयता दी गई है (तालिका-2)। जबकि एफडब्ल्यू के लिए आवंटन में 2022-23 के बजट अनुमान से 6.83 प्रतिशत की गिरावट दर्ज

की गई लेकिन यह वास्तव में 2021-22 के वास्तविक व्यय और 2022-23 के संशोधित अनुमान से 0.93 प्रतिशत और 4.79 प्रतिशत अधिक था।

ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धिशील, नियोजित, भागीदारीपूर्ण और योजनाबद्ध निवेश, खरीदारों की उन्नत मांग और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रोजगार सृजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हो सकते हैं। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए बजट में कृषि, कौशल निर्माण, डेयरी एवं मत्स्य विकास और एमएसएमई को प्राथमिकता दी गई है। एसडीई ने 2022-23 के आरई की तुलना में अपने बीई में 84.96 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जबकि एमएसएमई, एएचडी, एआरई, एफडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडी ने अपने संबंधित 2023-24 बजट आवंटन में क्रमशः 41.65%, 39.38%, 9.76%, 4.79% और 6.42% की वृद्धि दर्ज की (तालिका-2)। हालाँकि आरडी योजनाओं में संसाधन आवंटन में 2022-23 (आरई) की तुलना में 2023-24 में 13.02% कमी देखी गई। यह आरडी विभाग की अतिरिक्त संसाधन अवशोषण क्षमता और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के अन्य उभरते क्षेत्रों के लिए संसाधनों को बांटने से संबंधित दायरे और लचीलेपन को इंगित करता है।

चुनिंदा विकास योजनाओं (तालिका-3) के व्यय और बजट आवंटन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ग्रामीण आवास (पीएमएवाई) के प्रावधान, मत्स्य गतिविधियों (नीली क्रांति), जल और स्वच्छता (जल जीवन मिशन) ने नीति निर्माताओं और योजनाकारों का ध्यान आकर्षित किया है और इन्हें 2022-23 की बजाय 2023-24 में वृद्धिशील बजटीय आवंटन मिला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना में 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश से मछुआरों, मछली विक्रेताओं, कोल्डचेन और मछली उत्पाद परिवहन से संबंधित संचालन तंत्र और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों आदि से जुड़ी उत्पादक गतिविधियों को सक्षम करेगा। इससे न केवल मत्स्य क्षेत्र

तालिका-1: बजट अनुमान 2022-23 और संशोधित अनुमान 2022-23 (करोड़ रुपये) के बीच व्यय में भिन्नता

क्र. सं.	विषय	बीई	आरई	भिन्नता - बीई से आरई (% में)
1.	ग्रामीण रोजगार	73,000	89,460	22.46
2.	फसल एवं संबंधित कार्यों	1,22,137	1,40,651	15.15
3.	खाद्य भंडारण और मालगोदाम	2,15,643	2,89,329	34.17
4.	आवास	12,072	20,990	73.87

स्रोत: एक्स्पेंडीचर प्रोफाइल (स्टेटमेंट संख्या 3), केंद्रीय बजट 2023-24, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से संकलित



2016-17 और 2023-24 के दौरान चयनित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में वास्तविक व्यय और आवंटन

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	वास्तविक व्यय/आवंटन (करोड़ रु.)									2023-24 में आवंटन में वृद्धि (%)		
		16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23		23-24	से अंतर		
		वास्तविक						बीई	आरई	बीई	वास्तविक	आरई	बीई
											21-22	22-23	22-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एएफडब्ल्यू	40,626	37,396	46,076	94,252	1,08,273	1,14,468	1,24,000	1,10,255	1,15,532	0.93	4.79	-6.83
2	एआरई	5,995	6,942	7,544	7,523	7,554	8,368	8,514	8,659	9,504	13.58	9.76	11.63
3	एएचडी	2,376	2,022	3,171	2,712	2,464	2,584	3,919	3,105	4,328	67.46	39.38	10.44
4	एमएसएमई	3650	6,202	6,509	6,698	5,455	14,980	21,422	15,629	22,138	47.78	41.65	3.34
5	आरडी	1,56,287	1,08,559	1,11,842	1,22,098	1,96,417	1,60,433	1,35,944	1,81,122	1,57,545	-1.80	-13.02	15.89
6	एसडीई	1,553	2,198	2,619	2,405	2,625	2,121	2,999	1,902	3,517	65.82	84.96	17.28
7	डब्ल्यूसीडी	17,097	20,396	23,026	23,165	19,231	21,655	25,172	23,913	25,449	17.52	6.42	1.10

स्रोत: व्यय प्रोफाइल (विवरण संख्या-3), केंद्रीय बजट 2018-19 से 2023-24 तक संकलित, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

में मूल्य शृंखला दक्षता में सुधार होगा बल्कि देश-विदेश में मछली और मछली उत्पादों के बाजार का भी विस्तार होगा।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

मजदूरी और स्वरोजगार सृजन कार्यक्रमों को हमेशा ग्रामीण व्यवस्था में प्रभावी माना जाता है जो अन्यथा गरीबी के उच्च स्तरों, कम श्रम बल भागीदारी और श्रम बल के आकस्मिकीकरण में वृद्धि से ग्रस्त है। बजट में राज्यों/संघशासित प्रदेशों को लागू करने की अवशोषण क्षमता पर विचार किया गया और मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 14,129 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो गुणवत्तापूर्ण और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों और उद्यमों के निर्माण के लिए मौजूदा मजदूरी और स्वरोजगार कार्यक्रम हैं। हालांकि मनरेगा और एनएलएम में 2022-23 के बजट अनुमान (तालिका-3) के मुकाबले आवंटन में क्रमशः 17.8% और 0.8% की कमी देखी गई।

मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवंटन में योजनाबद्ध पहलों के अपेक्षित परिणाम के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। इस योजना में बड़ी वित्तीय अवशोषण क्षमता है। हालांकि समय की मांग है कि ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा की जाए तथा उसे पुनर्जीवित किया जाए और स्थायी सामुदायिक संपत्ति, आय और धन पैदा करने में कार्यान्वयन को प्रभावी बनाया जाए।

सामुदायिक स्तर पर गुणवत्ता विशेषज्ञों का एक पेशेवर कैडर बनाने की अत्यंत आवश्यकता है जो मनरेगा के तहत समय-समय पर परिणाम आधारित सार्वजनिक कार्यों की योजना और निगरानी सुनिश्चित करेगा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह कदम इन उद्देश्यों को भी सुनिश्चित करेगा- (अ) स्थायी और टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से आजीविका

सुरक्षा सुनिश्चित करना; (ब) कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी, आदि जैसे सहयोगी विभागों के परामर्श से उपयुक्त अभिसरण का लाभ उठाना; और (स) मनरेगा कार्यों के माध्यम से सिंचाई क्षमता का विस्तार। अधिसूचित गतिविधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से चारा उत्पादन के लिए मनरेगा निधियों के उपयोग पर बल देने से पशुधन क्षेत्र को काफी हद तक मदद मिलेगी और कृषि आय बढ़ाने के लिए उचित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित होगा।

एनएलएम के दो महत्वपूर्ण स्वरोजगार हेतु योजनाबद्ध प्रयास हैं- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनएलएम)। बजट में 2 लाख करोड़ रुपये के संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण के संवितरण को सक्षम करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजी संचार के माध्यम से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों की क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई डीएवाई-एनएलएम के ग्रामीण उद्यमिता विकास दृष्टिकोण का उद्देश्य एक उत्प्रेरक स्थानीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को अपने बूते पर स्थानीय उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अधिक स्वयंसहायता समूहों को जुटाने पर बल देने, ग्रामीण गोदामों और अन्य कृषि संभार तंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए उनकी सहायता लेने से ग्रामीण विकास के प्रयासों को कृषि बुनियादी ढांचे के साथ जोड़कर ग्रामीण आजीविका और आय में सुधार करने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान एनएलएम के तहत स्थापित और सहायता प्रदान किए जाने वाले नए और अभिनव प्रस्तावित

वर्ष 2023-24 के दौरान एनएलएम के तहत स्थापित और सहायता प्रदान किए जाने वाले नए और अभिनव प्रस्तावित ग्रामीण उद्यम (अ) स्वयंसहायता समूहों और किसानों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करेंगे; (ब) घरेलू आय में वृद्धि करेंगे; (स) लाखों ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सुनिश्चित करेंगे; और (द) सामुदायिक स्तर पर कृषि संभार तंत्र की सुविधा प्रदान करेंगे।

ग्रामीण उद्यम (अ) स्वयंसहायता समूहों और किसानों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करेंगे; (ब) घरेलू आय में वृद्धि करेंगे; (स) लाखों ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सुनिश्चित करेंगे; और (द) सामुदायिक स्तर पर कृषि संभार तंत्र की सुविधा प्रदान करेंगे।

कृषि विकास के माध्यम से आजीविका और रोजगार

बजट में उत्पादन, उत्पादन क्षमता, कृषि और गैर-कृषि लाभ और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। सरकार के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित के लिए सक्रिय सहभागी प्रयास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है- (1) सर्वांगीण जल योजना द्वारा जल की कमी को घटाना; (2) प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना (3) उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना; (4) कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और अन्य ग्रामीण समूहों को प्रोत्साहन और सहायता के माध्यम से ऑपरेशन ग्रीन की पहलों को मजबूती प्रदान करना; (5) कृषि गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, रीफर वैन जैसी कृषि-संभार तंत्र सुविधाओं को स्थापित करना और बढ़ाना; (6) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से तालुका स्तर पर इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए मौजूदा कृषि-संभार तंत्र की मैपिंग और जियो-टैगिंग और व्यवहार्यता वित्तपोषण सुनिश्चित करना; (7) सामुदायिक नेतृत्व वाले ग्राम भंडारण के निर्माण और संचालन के माध्यम से भंडारण क्षमता को बढ़ाना और किसानों की माल ढुलाई लागत को कम करना; (8) असंयोजित क्षेत्रों को जोड़ना, एक राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण और उसे जारी रखना; (9) ई-नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रसीदों को ई-नाम के साथ एकीकृत करना; (10) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से चारा फार्मों का विकास करना; (11) सामूहिक प्रयासों से मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना, बढ़ावा देना और लाभकारी बनाना; (12) प्रत्येक पंचायत/गाँव में प्राथमिक डेरी सहकारिताओं का सृजन सुनिश्चित करके दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना करना; और (13) 20 लाख करोड़ रुपये के बड़े हुए कृषि ऋण लक्ष्य का सफलतापूर्वक उपयोग करना।

डिजिटल आधारभूत संरचना पर जोर

पिछले कुछ वर्षों में क्रमबद्ध सार्वजनिक पहलों में भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को व्यापार करने में सुगमता

सुनिश्चित करने और लाखों नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लक्षित किया गया था। बजट 2023-24 ने निरंतर उत्पादकता वृद्धि के उद्देश्य से छोटे उद्यमों के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा उपयोग के लिए एक विशेष दृष्टिकोण अपनाने एवं नए सिरे से और सटीक ध्यान देने की घोषणा की गई है।

बजट ने कृषि के लिए एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य डिजिटल जन अवसंरचना के निर्माण की सुविधा देकर एक अति आवश्यक विकास पथ तैयार किया है। यह पहल समावेशी विकास की प्राथमिकता के अनुरूप है। इसमें फसल नियोजन और फसल स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक, समय पर और पर्याप्त सूचना सेवाओं को सक्षम करने, कृषि इनपुट सेवाओं जैसे ऋण, उपभोक्ता हितधारकों के लिए बीमा सुविधा, फसल आकलन के लिए सहायता, त्वरित और प्रभावी क्षति मूल्यांकन, बाजार की जानकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने में बेहतर पहुँच को सक्षम करने की जबर्दस्त क्षमता है।

कृषि के लिए डिजिटल बुनियादी अवसंरचना सुनिश्चित करने का यह प्रयास न केवल आधुनिक कृषि पद्धतियों और आधुनिक आंकड़ा विश्लेषण-आधारित फसल योजना और कृषि विकास को उत्प्रेरित करेगा बल्कि वृद्धिशील कृषि रोजगार भी सुनिश्चित करेगा जिसमें शिक्षित और बेरोजगार स्थानीय युवा आवश्यक कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही, बुनियादी अवसंरचना पर दिए जाने वाले इस बल से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रासंगिक गतिविधि-अनुरूप आंकड़ा विश्लेषणात्मक मॉडल का उपयोग करके आरम्भ से अंत तक डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

बजट में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि वर्धक निधि स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। इस निधि की स्थापना सही कदम है क्योंकि यह नवाचार को बढ़ावा देगा और देश के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के लिए किफायती और स्थान विशेष समस्या-आधारित समाधान प्रदान करेगा। आधुनिक, टिकाऊ और लागत प्रभावी कृषि पद्धतियों को अपनाना सुनिश्चित करने के लिए निधि के प्रावधान अधिक समकालीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करेंगे। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कृषि गतिविधियों में उत्पादकता

प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन नामक एक नई योजना आरंभ की गई है जिसके लिए 459 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहन देना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर कृषि क्षेत्र को घटाना और प्रकृति-संचालित स्वस्थ कृषि की ओर अग्रसर होना है।



तालिका-3: चुनिंदा योजनाओं के लिए व्यय और बजट आवंटन

योजनाएं	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	बीई	बीई 2022-23 से बीई 2023-24 का अंतर
	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24	(% में)
1	2	3	4	5	6
1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	98,468	73,000	89,400	60,000	-17.8
2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	8,152	9,652	9,652	9,636	-0.2
3. नीली क्रांति	1,179	1,891	1,422	2,025	7.1
4. जल जीवन मिशन	63,126	60,000	55,000	70,000	16.7
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	32,958	37,160	33,708	36,785	-1.0
6. राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनएलएम) - आजीविका	10,177	14,236	13,886	14,129	-0.8
7. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	90,020	48,000	77,130	79,590	65.8
8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	13,992	19,000	19,000	19,000	0.0
9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	11,278	12,954	8,085	10,787	0.0
10. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	3,099	7,192	5,000	7,192	117.4
11. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण	-	350	350	968	176.6
12. प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन	-	-	-	459	-

स्रोत: व्यय की रूपरेखा (विवरण संख्या 4 ए) से संकलित, केंद्रीय बजट 2023-24, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से एक क्लस्टर-आधारित और मूल्य-शृंखला दृष्टिकोण की योजना बनाई गई है जिसके द्वारा इनपुट और विस्तार सेवाओं की आपूर्ति और बाजार से प्रभावी जुड़ाव के लिए किसानों, राज्य और उद्योगों के बीच सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित किया जा सके जिससे कपास की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि संभव हो सकेगी। इसके अलावा, 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए **आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम** के माध्यम से बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

पोषक अनाजों को प्रोत्साहन

बजट 2023-24 में मिलेट (मोटे अनाज) के उत्पादन और खपत की वृद्धि को प्रोत्साहन देने पर उचित बल दिया गया है। भूले-बिसरे खाद्य पदार्थ बनते जा रहे मिलेट में भावी पीढ़ी के लिए खाद्यान्न बनने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है ताकि इसे एक सुपरफूड और ऐसे खाद्यान्न के रूप में प्रोत्साहित किया जा सके जो पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देता है। मिलेट यानी ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, चीना आदि के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों को मानते हुए बजट

ने भारत को मिलेट के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का बीड़ा उठाया है। देश के कृषि संस्थानों के माध्यम से सर्वोत्तम पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने के लिए सहायक सेवाएं मिलेट की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने और जैव विविधता, कृषि पारिस्थितिकी, पोषण और स्वास्थ्य के एकीकरण का एक तरीका है।

मिलेट के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने से भारत के छोटे और सीमांत किसानों को काफी हद तक लाभ होगा और उन्हें अपनी कृषि प्रणालियों और कार्यों, जानकारीयों तथा खाद्य उत्पादन, खपत एवं वितरण के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सभी के लिए स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन की परिकल्पना साकार करने के लिए (क) सामुदायिक बीज सहकारी समितियों की मदद से मिलेट के गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान, संरक्षण, साझाकरण और गुणन (ख) ग्राम स्तर पर वृद्धिशील और विशिष्ट बीज सहकारी समितियों या बीज समूहों का गठन (ग) लघु स्तर पर बीज प्रसंस्करण, निर्माण, पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना (घ) बीज वितरण तंत्र को मजबूत और विस्तारित करना, आदि पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

सहकारिता में विश्वास जताना

बजट में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में अनाज भंडारण क्षमता का निर्माण सुनिश्चित

करने का संकल्प लिया गया है। भारत में ग्राम/सामुदायिक स्तर पर अच्छी और वैज्ञानिक कृषि अवसंरचना सुविधाओं का अभाव है। केंद्र सरकार का यह निर्णय पैक्स और अन्य प्राथमिक समितियों द्वारा सहकारी समितियों के किसान सदस्यों को विभिन्न भंडारण और गोदाम सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी अवसंरचना स्थापित करने के आवश्यक अवसर प्रदान करेगा। इससे किसानों को मजबूरी में अपनी उपज को बेचना नहीं पड़ेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर कम कीमत पर भंडारण करने और बाद में बिक्री से लाभकारी दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बजट में अगले पांच वर्षों में सभी पंचायतों/गाँवों में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य पालन और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। यह सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण स्तर पर समुदाय आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के भारत सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

सहकारी व्यवसायों के विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय की हालिया पहलों में शामिल हैं : 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार करना, पैक्स के मॉडल उपनियमों को राज्यों में प्रचलित करना जिससे वे बहु-आयामी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों में परिवर्तित हों, आदि। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, जैविक खेती और निर्यात के क्षेत्रों में तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता, हितधारकों के बीच प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और विपणन योग्य अधिशेष के लाभदायक निपटान के मुद्दों के समाधान और इस प्रकार आर्थिक विकास के मौजूदा सहकारी मॉडल को पुनर्जीवित करने में बहुत सफल होगा। सहकारी समितियों में सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है- चाहे वह भारत सरकार हो, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकार के विभाग हों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राज्य सहकारी संघ और राष्ट्रीय/राज्य/ज़िला/स्थानीय स्तर की सहकारी संस्थाएं/संघ हों जो सहकारी रूप से अविकसित क्षेत्रों में डेयरी, मत्स्य पालन, बहुउद्देश्यीय पैक्स और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों को बढ़ावा दें और उनका पोषण करें। सहकारी समितियों को विशेष रियायतें और छूट जैसे नए विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर की दर 15% कम करना, सहकारी चीनी मिलों के पुराने कर दावों के निपटान का प्रावधान करना, नकद निकासी के लिए प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों के लिए सीमा बढ़ाना, वार्षिक नकद निकासी पर स्रोत पर कर कटौती के लिए लागू सीमा को बढ़ाना, आदि से सहकारी समितियों के माध्यम से व्यापक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर, समृद्ध और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बजट का सात प्राथमिकताओं वाला एजेंडा समय की आवश्यकता है। बजट 2023-24 में युवाओं की सक्रिय भागीदारी, ग्रामीण रोजगार और आय वृद्धि को प्रोत्साहित करने की निश्चितता जतलाते हुए, कृषि को स्मार्ट, आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार और समावेशी बनाने के लिए गंभीर और समयानुकूल प्रयास किए गए हैं। इसने समुदाय के नेतृत्व वाले सहकारी विकास के मॉडल में अपना विश्वास दोहराया है।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों-मजदूरी रोजगार (मनरेगा) और स्वरोजगार (डीएवाई-एनआरएलएम) पर जोर न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ाने में सरकार के संकल्प को इंगित करता है बल्कि योजनाबद्ध गतिविधियों के उपयुक्त बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करके बहुप्रतीक्षित अभिसरण को भी लाता है। बजट में अपने बहु-विषयी और बहु-आयामी दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी स्थानीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को अपने दम पर स्थानीय उद्यम को अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राम उद्यमिता विकास अवधारणा को मजबूत करने की उम्मीद जताई गई है। सहकारी विकास पर ध्यान केंद्रित कर, प्रयासों के सामूहिकीकरण और स्वयंसहायता समूहों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करके ग्रामीण गोदामों के निर्माण और अन्य कृषि-संभार तंत्रों के संचालन के लिए सहायता सेवाओं की सुविधा से ग्रामीण विकास के प्रयासों को कृषि बुनियादी ढांचे के साथ जोड़कर ग्रामीण आजीविका और आय में सुधार करने में मदद मिलेगी।

विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में प्रस्तावित पहल और घोषणाओं जैसे ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण और कृषि प्रौद्योगिकी सुधार/ पुनर्गठन/ लिंकेज, कृषि उत्पादों की बेहतर दाम प्राप्ति, ग्रामीण कनेक्टिविटी, केंद्रित पोषक अनाज विकास, स्मार्ट और आधुनिक कृषि पद्धतियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यक क्षमता है। यह बजट सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नवोन्मेषी और सहभागी निवेश अवसरों, ग्रामीण और कृषि अवसंरचना के निर्माण, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन और कृषि एवं किसान कल्याण आदि मंत्रालयों/विभागों की योजना पहलों के एकीकरण और अभिसरण को सुनिश्चित करने का भी आह्वान करता है। हालांकि वास्तविक चुनौती यह है कि विकास के प्रयासों को कैसे अभिसरित किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और लाभकारी रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण/कृषि उद्यमों के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। □





खाद्य और पोषण सुरक्षा

-परमेश्वर लाल पोद्दार

बजट 2023-24 में सरकार के देश में भुखमरी और कुपोषण की समस्या को समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे भारत में खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बजट में न केवल खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है बल्कि इस पर भी ध्यान दिया गया है कि पोषण युक्त भोजन समाज के हर वर्ग व आयु के लोगों की पहुँच के अंदर हो। महिलाओं, किशोरियों व शिशुओं के पोषण हेतु इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन और पानी के साथ यदि कुछ और जरूरी है, तो वो है भोजन। बिना भोजन के मनुष्य कुछ ही दिन जीवित रह सकता है। मानव सभ्यता के शुरुआत में मनुष्य कुछ भी खाकर अपना पेट भर लेता था, परंतु धीरे-धीरे मनुष्य ने अपने लिए सही भोजन तलाश लिया। इसके बाद पोषण युक्त भोजन की पहचान हुई। पौष्टिक भोजन लेना मनुष्य के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन के अभाव से मानव शरीर कुपोषण सहित कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। महिलाओं पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि कुपोषित महिला यदि किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा भी जन्म से कमजोर होता है और उसकी जीवन संभाव्यता कम होती है। इसलिए सही समय पर सही पोषण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है अन्यथा कुपोषण का कभी न खत्म होने वाला दुष्प्रकार प्रारम्भ हो सकता है।

कुपोषण की समस्या किसी भी देश की उच्च मृत्युदर का मुख्य कारण होती है और यह उस देश के सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए हर देश की सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनता को समय पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध हो। इसके लिए हर देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी खाद्य और पोषण सुरक्षा को विश्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक माना है और इसे सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में सम्मिलित किया है। सतत विकास लक्ष्य-2 'जीरो हंगर' ('भुखमरी समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करें और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें') केवल खाद्य और पोषण सुरक्षा को ही समर्पित है। इसके अलावा भी अन्य सभी लक्ष्य किसी-न-किसी तरह से खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित हैं।



लेखक ग्रामीण विकास और बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में नाबार्ड के पुनर्वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, मुंबई में कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : poddarpameshwar@gmail.com

खाद्य और पोषण सुरक्षा क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान, अमेरिका के अनुसार खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है “एक परिवार के लिए एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन के लिए हर समय सभी सदस्यों की पर्याप्त भोजन तक पहुँच।” खाद्य सुरक्षा में शामिल हैं -पौष्टिक रूप से पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की तैयार उपलब्धता और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से स्वीकार्य खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की सुनिश्चित क्षमता। जबकि पोषण सुरक्षा से मतलब “खाद्य और पेय पदार्थों की निरंतर पहुँच और किफ़ायती लागत पर उपलब्धता से है जो जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं और विशेष रूप से नस्लीय/जातीय अल्पसंख्यक आबादी, कम आय वाली आबादी, और ग्रामीण तथा दूरस्थ आबादी के बीच बीमारी को रोकते हैं (और यदि आवश्यक हो, इलाज करते हैं)।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार- “खाद्य सुरक्षा तब मौजूद होती है जब सभी लोगों को, हर समय, सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी आहार संबंधी जरूरतों और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच प्राप्त हो।”

इस प्रकार खाद्य और पोषण सुरक्षा का अर्थ न्यूनतम आवश्यक पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता से है जिसे हर कोई किफ़ायती दर पर प्राप्त कर सके और यह हर जगह, हर परिस्थिति में लोगों की पहुँच के भीतर हो। (चित्र-1)

भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा

आजादी के समय भारत खाद्य अनाज की कमी से जूझ रहा था और उसे अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। वर्ष 1950-51 में खाद्य अनाजों का उत्पादन महज 50 मिलियन टन था, जो 2021-22 में बढ़कर 315.7 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार अनाज, दाल और तिलहन का उत्पादन साल-दर-साल बढ़ रहा है। (चित्र-2)

आज भारत न केवल अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है बल्कि यह विश्व में खाद्य अनाजों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और चावल और गेहूँ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात देश से हुआ है। चावल, गेहूँ, चीनी, अन्य अनाज और मांस का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया गया है। हमारे

“संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि उनके सामने भगवान रोटी के रूप में ही प्रकट हो सकते हैं।”

-महात्मा गाँधी



चित्र-1 खाद्य और पोषण सुरक्षा के विभिन्न आयाम

कृषि वैज्ञानिकों व किसानों की अथक मेहनत और सरकार की प्रोत्साहक नीतियों के कारण आज भारत खाद्यान्न आयातक देश से खाद्यान्न निर्यातक देश बन पाया है।

आजादी के बाद से ही खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया कि देश के अंतिम छोर पर स्थित लोगों तक खाद्यान्न समय पर पहुँचाया जा सके। खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को लेकर सरकार हमेशा से गंभीर रही है और समय-समय पर विशेष योजनाओं व वार्षिक बजटीय प्रावधान के द्वारा समाज के सभी वर्गों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट 2023-24 के इस वक्तव्य से समझा जा सकता है- “कोविड-19 महामारी के दौरान, हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोये। खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम 1 जनवरी, 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को अगले वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने की योजना लागू कर रहे हैं।”



विगत 10 वर्षों में उत्पादन



स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का 21.09.2022 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (2022-23)

बजट 2023-24 में एक बार फिर से देश में भुखमरी और कुपोषण की समस्या को समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे भारत में खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बजट में न केवल खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है बल्कि इस पर भी ध्यान दिया गया है कि पोषण युक्त भोजन समाज के हर वर्ग व आयु के लोगों की पहुँच के अंदर हो। महिलाओं, किशोरियों व शिशुओं के पोषण हेतु इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं।

कृषि विकास से खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ावा देने हेतु बजटीय प्रावधान

खाद्य और पोषण सुरक्षा का पहला आयाम है- खाद्यान्न की उपलब्धता। किसी भी देश में खाद्यान्न की उपलब्धता तब होती है जब उस देश में कृषि एवं इसके हितधारकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र पर 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया है जिसका इस्तेमाल गरीब किसानों को आर्थिक मदद देने, कृषि में तकनीक का इस्तेमाल व किसानों को सस्ती दर पर फ़सली ऋण मुहैया कराने पर किया जाएगा। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु 60,000 करोड़ रुपये, लघु व मध्यम किसानों को केसीसी के माध्यम से सस्ते ऋण प्रदान करने हेतु 23,000 करोड़ रुपये तथा प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु 459 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि

ऋण का लक्ष्य वर्ष 2023-24 हेतु 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। कृषोन्नति योजना के लिए 7,066 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है ताकि दालों व अन्य पोषणयुक्त अनाजों की उपज और उत्पादकता में सुधार किया जा सके। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत 2,200 करोड़ रुपये का और मत्स्यपालन की मूल्य शृंखला को बढ़ावा देने के लिए पीएम मत्स्य संपदा के तहत एक नई उपयोजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है।

बजट में विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता विकसित करने की बात कही गई है, जो कृषि उत्पादों के भंडारण और सही समय पर उसे बाजार हेतु उपलब्ध करने में सहायक होगा। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा बल्कि बाजार में अनाज की उपलब्धता को भी निरंतर बनाए रखने में सहायक होगा। कृषि आधारभूत निधि के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 923.24 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है जिससे खाद्य प्रसंस्करण और शीत भंडारण में सुधार किया जाएगा। बजट में मोटे अनाजों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। (चित्र-3) मोटे अनाजों की खेती से न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि यह खाद्य और पोषण सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन युक्त प्रोत्साहन योजना हेतु बजट में 1530 करोड़

रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि मोटे अनाजों व जैविक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके।

किफ़ायती लागत पर अनाज मुहैया कराने हेतु विशेष प्रयास

किसी भी देश में अनाज की पैदावार चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर यह लोगों के बीच किफ़ायती लागत पर उपलब्ध नहीं है तो खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूती नहीं मिल सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के रूप में 1,37,207 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि किसानों से अनाज खरीदने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु अनाजों के आवंटन के लिए उपयोग की जाएगी, जिससे लोगों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विकेंद्रीकृत अनाज खरीद हेतु खाद्य सब्सिडी 59,793 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि जरूरतमंद घरों में किफ़ायती लागत पर अनाज उपलब्ध

कराया जा सके। अंतर-राज्यीय अनाज की आवाजाही और उचित मूल्य दुकानदारों के मार्जिन हेतु 7,424.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे लोगों को घर के द्वार पर अनाज की उपलब्धता बनाई जा सके। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वो अपनी आय से खाद्यान्न खरीद कर अपने परिवार की पोषण जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु इस बजट में 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गर्भवती महिलाओं, किशोरियों व शिशुओं की पोषण सुरक्षा

जब तक समाज में सभी लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद्य और पोषण उपलब्ध नहीं हो तब तक खाद्य और पोषण सुरक्षा की कोई उपयोगिता नहीं रहती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गर्भवती महिलाओं, किशोरियों व शिशुओं को उनकी जरूरत के अनुसार पोषण मुहैया

भारत बनेगा मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र

भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है। बजट 2023-24 मोटे अनाज के उत्पादन हेतु भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। बजट में मोटे अनाज को 'श्री अन्न' घोषित किया गया है। भारत दुनिया में 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। देश में कई प्रकार के श्री अन्न जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा उगाये जाते हैं। बजट में ये घोषणा की गई है कि भारत को 'श्री अन्न' का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।



एफएओ के महानिदेशक के अनुसार 'मोटा अनाज छोटे किसानों को सशक्त बनाने, सतत विकास हासिल करने, भूख को खत्म करने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और हमारे सामूहिक प्रयासों में योगदान दे सकता है।'

मोटे अनाज में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, डायट्री फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा, यह अनाज अपने एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स, एंथोसायनिन, सैपोनिन और लिग्नांस गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। यह मधुमेह के खिलाफ लड़ाई में काफी कारगर है। मोटे अनाज हेतु चावल से 70% कम पानी; गेहूँ की तुलना में आधा समय; और प्रसंस्करण में 40% कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कठोर फसलें हैं जो अत्यधिक गर्मी की स्थिति का सामना कर सकती हैं और इसको उपजाने हेतु अतिरिक्त रासायनिक खाद की जरूरत नहीं होती है। मोटे अनाजों के उत्पादन को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना बढ़ाया जा सकता है और यह एक बड़ी आबादी के लिए एक स्वस्थ भोजन विकल्प हो सकता है। मोटे अनाज की खेती में कम लागत लगती है जिससे इसे सीमांत किसानों के द्वारा आसानी से उपजाया जा सकता है। सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, यह खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा।

कराया जा सके। इसके लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषण सामग्री का वितरण कर कुपोषण की समस्याओं का समाधान करना है। बजट 2023-24 में इस कार्यक्रम हेतु 20,554.31 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है।

स्कूली बच्चों की पोषण सुरक्षा हेतु योजना

यदि किसी भवन की नींव कमजोर हो तो वो भवन कभी भी मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह यदि देश के बच्चे कुपोषित हो तो देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1995 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो अब **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना** के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को पोषाहार उपलब्ध कराकर उनके पोषण स्तर में वृद्धि करना, लड़कियों और लड़कों के बीच मौजूदा पोषण अंतर को खत्म करना व भुखमरी की समस्या का समाधान करना है। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत 11,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त देश भर के 11.20 लाख स्कूलों के कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने में खर्च किया जाएगा।

खाद्य और पोषण सुरक्षा को निरंतरता देने का कार्यक्रम

खाद्य और पोषण सुरक्षा तब तक अधूरी है जब तक लोगों को पौष्टिक भोजन निरंतर उपलब्ध न हो। लोगों को निरंतर पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि अनाज की कीमतों में उतार-चढ़ाव, संघर्ष या महामारी जैसे बाहरी जोखिमों के प्रभाव को कम कर इसे हर वक्त लोगों, खासकर समाज के कमजोर तबकों के लोगों की पहुँच के भीतर बनाए रखा जाए। **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** (पीएमजीकेएवाई) की शुरुआत 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभान्वित करने के लिए 1 जनवरी, 2023 से की गई है। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिक घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न सहायता प्रदान की जाएगी। पीएमजीकेएवाई गरीबों तक खाद्यान्न की पहुँच, वहनीयता और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के प्रावधानों को सुदृढ़ करेगी। इससे देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।

निष्कर्ष

कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में युद्ध के कारण भोजन, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के चलते वैश्विक खाद्य संकट बढ़ रहा है। लाखों लोग भुखमरी की समस्या का

“सदी में एक बार आने वाली महामारी और उसके बाद संघर्ष की स्थिति ने दिखाया है कि खाद्य सुरक्षा अभी भी हमारे ग्रह के लिए एक चिंता का विषय है।”

—प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

सामना कर रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की वैश्विक खाद्य संकट 2022 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया हाल के इतिहास में सबसे बड़े वैश्विक खाद्य संकट के बीच में है। तीव्र खाद्य असुरक्षा या उच्च जोखिम वाले लोगों की संख्या कोविड महामारी से पूर्व 53 देशों में 135 मिलियन थी जो पिछले दो वर्षों में बढ़कर 82 देशों में 345 मिलियन हो गई है। इस वैश्विक खाद्य संकट के बीच भारत अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने में सफल रहा है। यह यहाँ के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और सरकार की दूरदृष्टिता का परिणाम है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2022 में भारत 68 वें स्थान पर रहा है जो 2021 के 71वें स्थान से बेहतर है। यह दर्शाता है कि भारत द्वारा वर्ष-दर-वर्ष खाद्य सुरक्षा की ओर मजबूती से प्रयास किया जा रहा है। परंतु खाद्य सुरक्षा के विपरीत पोषण सुरक्षा में स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। भोजन में अभी भी सूक्ष्म पोषक तत्वों और प्रोटीनयुक्त अनुशंसित आहार की कमी है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार एक औसत वयस्क को हर दिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.8-1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आंकड़े यह भी बताते हैं कि औसत भारतीय वयस्क 0.6 ग्राम के करीब खपत करता है, जिससे दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। बच्चों और महिलाओं में एनीमिया आमतौर पर देखा जाता है, जो लोहे की कमी, प्रोटीन की कमी व फोलिक एसिड और बी 12 की कमी को दर्शाता है।

भारतीय आहार में विविधता और अन्य पोषक तत्वों की कमी है जिसका मुख्य कारण आहार में चावल और गेहूँ जैसे मुख्य अनाजों का प्रभुत्व है। विशिष्ट भारतीय आहार में 50 प्रतिशत अनाज और कंद होते हैं, केवल 9 प्रतिशत मॉस/दाल और 17 प्रतिशत डेयरी होते हैं जिससे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि किफायती लेकिन पौष्टिक भोजन विकल्पों के प्रति पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाई जाए और खाद्य स्रोतों में विविधता लाकर खाद्य विज्ञान में नवाचार का लाभ उठाया जाए। सरकार को खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी व आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर बदलाव से बेहतर पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए सरकार को चाहिए कि बजट में विशेष प्रावधान करने के साथ-साथ दीर्घकालिक योजना भी बनाए।



ग्रामीण अवसंरचना विकास

-अरविंद कुमार सिंह

स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बिजली, पानी, सड़क, आवास और शिक्षा की सुविधाओं के विकास की तेज गति के साथ ग्रामीण स्वच्छता में सुधार होने से कई सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन तेजी से हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। बेशक अवसंरचना क्षेत्र में तमाम काम हुए हैं लेकिन भारत जैसे विशाल देश में गाँवों में तमाम भौगोलिक जटिलताएं हैं और कई तरह की चुनौतियां हैं। इन तथ्यों को हाल के बजटों में ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में अमृतकाल में समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, अवसंरचना और निवेश के साथ क्षमता का विकास जैसे तथ्य शामिल हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का मत था कि हमें ग्रामीण सभ्यता विरासत में मिली है। देश की विराटता, आबादी, जलवायु और भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर यही भारत के अनुकूल है। वे मानते थे कि जब तक भारत के लाखों गाँव स्वतंत्र, शक्तिशाली और स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। ग्रामीण भारत के साथ गाँधीजी का गहरा जुड़ाव था और विभिन्न पहलुओं पर बहुत गहन चिंतन भी किया था। नील किसानों की मुक्ति के लिए 1917 में जब वे बिहार में चम्पारण इलाके में गए तो 2 महीने में ही 2,900 गाँवों के 13 हजार से अधिक किसानों से सीधा संवाद कर लिया था। चम्पारण में आंदोलन के सिलसिले में गाँधीजी सबसे अधिक और करीब दस महीने रहे। उस दौरान केवल आंदोलन नहीं चला बल्कि ग्रामोद्धार की तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने का भी काम किया। तमाम दोषों को दूर करने का प्रयास किया और जनजागरण भी किया।

उस दौर की तस्वीर अलग थी और गाँव सुविधाओं में मध्यकाल में जी रहे थे। ग्रामीण समाज शहरों के मुकाबले तमाम भौतिक सोपानों पर अरसे से पिछड़ा रहा है। सन् 1947 में भारत को आजादी मिलने के दौरान हमारा ग्रामीण अवसंरचना ढाँचा बेहद कमजोर था। प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे शिक्षक ग्रामीण इलाकों में इसी कारण जाने से कतराते थे। चाहे सड़क, बिजली, पानी हो या स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज हो या दूसरे साधन, गाँव इसमें बहुत पीछे थे। आधुनिक दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी में भी वे काफी पीछे रहे हैं। बाजारों से कनेक्टिविटी में भी यही हाल रहा। लेकिन इन क्षेत्रों में बीते दशकों में लगातार काम होने से बदलाव दिखने लगा है।

स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बिजली, पानी, सड़क, आवास

और शिक्षा की सुविधाओं के विकास की तेज गति के साथ ग्रामीण स्वच्छता में बदलाव होने से कई सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन तेजी से हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इस तस्वीर को बदलने में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खास भूमिका निभायी है। साथ ही, अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कई जगह एनजीओ की सहभागिता भी अहम रही। लेकिन सूचना और संचार क्रांति के आज के दौर में गाँवों की तस्वीर बदली है, परंपरागत दौर की तरह वहां जनाकांक्षाएं दिख रही हैं।



2014 से अब तक की उपलब्धियां

सिर्फ 9 सालों के अंदर बनी दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

- ✓ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण
- ✓ उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन
- ✓ 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण
- ✓ पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते
- ✓ पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा
- ✓ पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को ₹2.2 लाख करोड़ का नकद स्थानांतरण
- ✓ दौगुनी से ज्यादा बढ़त के साथ प्रति व्यक्ति आय हुई ₹19.7 लाख

@PIB_India @PIBIndia @pibindia @pibindia @PIBIndia @PIB_India @PIBIndia @PIBIndia

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज्यसभा टीवी में संसदीय और कृषि मामलों के पूर्व संपादक रह चुके हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चौधरी चरणसिंह कृषि पत्रकारिता पुरस्कार और भारतीय प्रेस परिषद के ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित।

ई-मेल : arvindksingh.rtsv@gmail.com

1951 में भारत विशुद्ध गाँवों का देश था। तब करीब 82.8 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते थे। बीते दशकों में शहरीकरण की गति तेज होने के बावजूद भारत ग्राम प्रधान बना हुआ है। गाँवों में रोजगार के सीमित मौकों के कारण शहरों को पलायन होने का क्रम जारी था। शहरी आबादी की तेज गति के पीछे की बड़ी वजहों में यह भी रहा है। गाँव और शहर के बीच प्रति व्यक्ति आय और खपत दोनों के स्तर में व्यापक अंतर है।

लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में तस्वीर बदल रही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुँच में अच्छी प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इससे गाँव और शहर के बीच अंतर घटा, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधरी व रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। वहीं इस बार आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कई अन्य संकेतकों को बेहतर माना गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मनरेगा के तहत सृजित परिसंपत्तियों का कृषि उत्पादकता और ग्रामीणों की आय पर सकारात्मक असर पड़ा है। इसी तरह ग्रामीण महिला श्रमबल की हिस्सेदारी 2018-19 में 19.7 प्रतिशत से बढ़ कर 2020-21 में 27.7 प्रतिशत हो गई।

ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर

आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में भारत की 65 प्रतिशत आबादी का वास है, जिसमें से 47 प्रतिशत जीवनयापन के लिए पूरी तरह खेतीबाड़ी पर निर्भर

हैं। इसलिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जीवन-स्तर को बढ़ाने पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आंकड़ों में 2015-16 की तुलना में बिजली तक पहुँच और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जैसे कई कारणों से काफी सकारात्मक बदलाव आया है। महिलाएं अधिक सशक्त हुईं और परिवार में निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी है। मनरेगा योजना में रोजगार के मौके बढ़ने के साथ इसके असर से कृषि उत्पादकता बढ़ी और खेती की लागत घटी। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर हुए विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों में पाया गया है कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में इसका सकारात्मक असर पड़ा है।

अवसंरचना से संबंधित ग्रामीण स्कीमों को गति मिलने से गाँवों की दुनिया में तेजी से बदलाव आ रहा है। वर्ष 2018 में सौ फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण के बाद खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी तेजी आई है। पहले बिजली शहरी इलाकों की जरूरत मानी जाती थी लेकिन आज वह सिंचाई से लेकर तमाम कृषि कार्यों से जुड़े यंत्र चलाने, पशुपालन, मुर्गीपालन और दूसरे क्षेत्रों में कारगर साबित हो रही है। तेलघानी, चावल मिल, दाल मिल और आटा चक्की के साथ ग्रामोद्योगों को भी बिजली के कारण नई संभावनाएं बनी हैं।

लेकिन आज भी ग्रामीण भारत में भूमि ही सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है, जिस पर काफी दबाव है। भारत के पास दुनिया का 2.4% क्षेत्र और 4% जल संसाधन है। लेकिन उस पर दुनिया की करीब 17% आबादी और 15% पशुधन का भार है। कृषि गणना 2015-16 के मुताबिक देश में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या 12.56 करोड़ हो गई है, जिसमें से 35% के पास 0.4 हेक्टेयर से कम और 69% किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि है। जलवायु परिवर्तन के साथ हर साल मानसून के पैटर्न में आ रहा बदलाव और प्राकृतिक आपदाएं खेती का जोखिम बढ़ा रही हैं। फिर भी जिसके पास छोटा खेत है, वह उसे एक परिवार को जीने का आधार देता है। हमारी एक विशाल आबादी और श्रमशक्ति को ग्रामीण इलाका रोजगार देता है। देश को यह खाद्य सुरक्षा देता है। खेतीबाड़ी, पशुपालन, वानिकी, ग्रामोद्योग और कई दूसरी गतिविधियां ग्रामीण भारत का आर्थिक आधार हैं।

हाल में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने संसद के समक्ष अपने अभिभाषण में ग्रामीण विकास की कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी सराहना की। बीते वर्षों में 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुँच रहा है। 'हर घर जल' पहुँचाने के लिए 'जल जीवन मिशन' शुरू किया गया, जिसने तीन सालों में करीब 11 करोड़ परिवारों तक पाइप से शुद्ध जल पहुँचाया। बीते वर्षों में सरकार ने साढ़े तीन करोड़ से अधिक



आखिरी छोर तक पहुँच

- अवसंरचना की मास्टर सूची की समीक्षा एक विशेषज्ञ समीति द्वारा की जाएगी
- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान
- 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का प्रावधान की गई है
- 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलिपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा
- पेट्रोल भोवहन को सरकारी-निजी भागीदारी के तहत बढ़ाया जाएगा





गरीब परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है। औसतन हर रोज 11 हजार घर बने।

बेशक अवसंरचना क्षेत्र में तमाम काम हुए हैं लेकिन भारत जैसे विशाल देश में गाँवों में तमाम भौगोलिक जटिलताएँ हैं और कई तरह की चुनौतियाँ हैं। इन तथ्यों को हाल के बजटों में ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में अमृतकाल में समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, अवसंरचना और निवेश के साथ क्षमता का विकास जैसे तथ्य शामिल हैं। भारत सरकार की 185 प्रमुख योजनाओं में मनरेगा अति महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसके लिए 2023-23 में 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के हक में 70,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 10,787 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 7192 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 79,590 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस मद में 66 फीसदी की वृद्धि की गई है। नदी जोड़ो परियोजना के लिए भी 3,500 करोड़ रुपये का आवंटन है जो हाल के सालों में सबसे अधिक है। लेकिन ग्रामीण भारत को सेवित करने वाली योजनाओं के लिए संसद में कई सांसदों ने और अधिक धन आवंटन की मांग की है। वर्ष 2023-24 का ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट 2,36,545 करोड़ रुपये है। इसके भूमि संसाधन विभाग का बजट 2023-24 में 2419.23 करोड़ रुपये रखा गया।

मनरेगा-परिसंपत्तियों के सृजन के साथ रोजगार

2020 में नीति आयोग द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा से स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन, बेहतर जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण, उच्चतर भूमि उत्पादकता के माध्यम से गरीबों को आजीविका सुरक्षा हासिल हुई है। यह योजना कोरोना संकट के दौरान गाँवों के लिए वरदान बन कर उभरी। रोजगार के साथ काफी टिकाऊ परिसंपत्तियाँ खड़ी की गई।

मनरेगा पर 2020-21 में वास्तविक व्यय 1,11,500 करोड़ रुपये था, जबकि 2021-22 में 98,468 करोड़ रुपये। इसकी तुलना में 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। लेकिन उम्मीद है कि इस मांग आधारित कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्रालय संसाधनों की कमी नहीं होगा देगा। बीते सालों में 2020-21 में मनरेगा से रोजगार में सबसे अधिक प्रगति हुई है। वर्ष 2022-23 में 6 जनवरी, 2023 तक 225.8 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित हुआ। साथ ही, कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर 68.5% व्यय किया गया। मनरेगा के तहत ई-भुगतान 99.7

मनरेगा से ग्रामीण श्रमिकों को ही नहीं बल्कि चुनौतियों से घिरे छोटे और सीमांत किसानों को भी काफी मदद मिली है क्योंकि मनरेगा का कार्य क्षेत्र विस्तृत है। कृषि उत्पादों के लिए सामूहिक भंडारण सुविधाएँ, उबड़-खाबड़ जमीनों का उपचार, गरीबों के लिए मकान निर्माण, स्वच्छता अभियान, आदि भी इसके दायरे में हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन का आधार तैयार करने से लेकर ग्रामीण पेयजल और आंगनवाड़ी केंद्र और खेल के मैदान तक का निर्माण भी इसमें शामिल है। हाल के सालों में मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्र, खेत, तालाब, ग्रामीण आवास और कई तरह की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है।

फीसदी तक पहुँच गया है। 99% मजदूरी सीधे बैंक खातों में जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 करोड़ आधार को प्रबंधन सूचना प्रणाली या एमआईएस से जोड़ा गया है, जो कुल 15.3 करोड़ सक्रिय श्रमिकों का 92% है। देश में 5.5 करोड़ भूमिहीन परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने के सभी संभव प्रयास हो रहे हैं। मनरेगा की परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग का काम 2016-17 से आरंभ होने के बाद से अब तक 5.2 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियो टैग किया जा चुका है। मनरेगा के तहत 262 कार्य अनुमेय हैं लेकिन सांसदों की मांग है कि इसके दायरे में कुछ और कामों को शामिल किया जाए।

पहले मनरेगा में कई कमियाँ थी जिसमें से मजदूरी का देर से भुगतान खास चिंता का बिंदु था लेकिन अब ई-भुगतान के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में मजदूरी का भुगतान समय से हो रहा है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ी है। मनरेगा के तहत जल संरक्षण में शानदार काम हुआ। समय के साथ मनरेगा एक बड़ी ताकत बन चुकी है। विश्व बैंक भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति लाने वाला कार्यक्रम मान चुका है और कई सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों में इसकी खूबियों पर काफी चर्चा हुई है।

ग्रामीण सड़कों का बदलता चेहरा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे घटक की समय-सीमा सितंबर 2022 तक थी, जिसे मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। तीसरे चरण की अवधि मार्च 2025 रखी गई है। वर्ष 2024-25 तक ग्राम सड़क योजना के सभी कार्यक्रम पूरे होंगे, जिसके मद्देनजर 2022-23 से इस मद में सालाना आवंटन 19,000 करोड़ रुपये किया गया है। ग्रामीण कायाकल्प में बेहद मददगार रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 8,04,316 किमी. ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी गई है। 2 फरवरी, 2023 तक राज्य अंश सहित 2,93,683 करोड़ रुपये व्यय से 7,25,579 किमी सड़कें बनायी जा चुकी हैं। इस योजना



के आरंभ से अब तक 250 से अधिक आबादी वाली 1,56,387 बस्तियों में सड़क बन चुकी है, जबकि 100 से 249 आबादी वाली 6,253 बस्तियों में से 6,011 को सड़कों से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 2019-20 में 27,304 किमी, 2020-21 में 36,674 किमी, 2021-22 में 41,973 किमी. से अधिक सड़कें बनीं। 2 फरवरी, 2023 तक चालू वित्त वर्ष में 20,896 किमी. सड़कें बनी हैं।

ग्रामीण पेयजल-हर घर तक नल

2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल जल आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। मिशन की घोषणा के पहले अगस्त 2019 तक 3.23 करोड़ परिवारों (17%) के पास नल जल कनेक्शन था। अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन - हर घर जल योजना आरंभ की गई। तब से 09 फरवरी, 2023 तक साढ़े तीन सालों में 7.89 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक जल पहुँच गया है। देश के 19.39 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब 11.12 करोड़ के पास घरों में नल से जलापूर्ति हो रही है। यह कुल ग्रामीण परिवारों का 57.36% बनता है। आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 100 फीसदी का आँकड़ा पार हो गया है।

इस समय 121 जिले, 1515 ब्लॉक, 82071 ग्राम पंचायत और 1.5 लाख से अधिक गाँव हर घर जल ब्लॉक, हर घर जल पंचायत और हर घर जल गाँव बन गए हैं। इसके अलावा, 8.8 लाख से अधिक स्कूलों और 9.1 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को पाइप से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है।

हर घर नल से जल की आपूर्ति- भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिल कर अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की मार्फत हरेक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। अनुमानित योजना परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 2.08 लाख करोड़ रुपये है। 2023 में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा में 'हर घर जल' पहुँचाने की समय सीमा तय की गई है, जबकि 2024 में असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए समय सीमा तय की गई है।

भारत सरकार ने मई 2019 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय का गठन दो मंत्रालयों जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके किया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को उनकी भिन्न आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बावजूद नल के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए।

हर खेत को पानी- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आरंभ की गई थी। इसमें 99 वृहद् और मध्यम चालू सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इससे 2016-2021 के बीच 22.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। बाद में 2021-22 से 2025-26 के दौरान 93,068 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना के विस्तार को अनुमोदित किया गया, जिसके तहत 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के लिए चल रही परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है।

आज तेजी से बढ़ रही कृषि उत्पादकता में सिंचाई साधनों के विकास का बड़ा योगदान है। आजादी के बाद सिंचाई क्षेत्र में तीन गुना विस्तार हुआ है। 1951 में सिंचित क्षेत्र 20.8 लाख हेक्टेयर था जो 1981 तक बढ़ कर 47.4 लाख हेक्टेयर पहुँचा। 2001 तक यह 59.2 लाख हेक्टेयर और 2021 तक 69.4 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। यह आकलन किया गया है कि 2015 से अब तक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से करीब 125 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

आम बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी जोर है। इस परियोजना पर कुल 44,605 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना से 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और 62 लाख लोगों को पेयजल, 103 मेगावॉट जल विद्युत और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी। इसके तहत 221 किमी लंबी नहर बनेगी। इस बार बजट में कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का फैसला लिया गया है।

विश्व बैंक ने 2019 में ग्रामीण सड़कों पर अपने मूल्यांकन में पाया कि इसने मानवीय पूंजी निर्माण से लेकर बच्चों की शिक्षा तक के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान दिया है। इस योजना की खूबी यह रही कि इसमें राजस्व ग्राम की जगह बसावट को इकाई माना गया। इस योजना की बहुत-सी कमजोरियों को समय के साथ दूर करते हुए सुधारा गया। 'मेरी सड़क' ऐप खराब सड़कों को ठीक कराने में काफी सहायक साबित हुआ। यह योजना बेहद कारगर रही है और इससे स्थानीय लोगो को रोजगार मिला और बाजारों तक किसानों की पहुँच के साथ बहुत-सी आर्थिक गतिविधियों में मदद मिली। इस योजना में इकाई बसावट है न कि एक राजस्व ग्राम। इस नाते संपर्क विहीन बसावटों को इससे एक नया जीवन मिला है।





प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी कुसुम योजना कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने, किसानों को जल और ऊर्जा सुरक्षा देने और आय में वृद्धि के इरादे से आरंभ की गई थी। अभी इस योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। इस योजना के तहत अब 31 मार्च, 2026 तक की अवधि में 35 लाख पंपों के सौरीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

गाँवों में रोशनी बिखरने का प्रयास

भारत को आजादी मिली तो केवल 1,500 गाँव विद्युतीकृत थे और केवल 6,500 पंपसेट बिजली से चलते थे। 1950 के दशक में विद्युतीकरण आरंभ हुआ पर 2011 की जनगणना तक केवल 55 फीसदी ग्रामीण परिवार ही विद्युतीकृत थे। हालांकि सभी गाँवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य 2009 तक रखा था, लेकिन यह काम 28 अप्रैल, 2018 तक संभव हो पाया।

ग्रामीण विद्युतीकरण से खेती की लागत कम करने, सिंचाई से लेकर विविध क्षेत्रों में सकारात्मक असर पड़ा है। अब सरकार 2022-23 तक गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है, जो चुनौती भरा काम है। दिसंबर 2014 में तत्कालीन राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की। इस स्कीम के तहत कुल 18,374 बचे गाँवों का विद्युतीकरण किया गया। यह स्कीम 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गई।

ग्रामीण स्वच्छता की चुनौती

देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर, 2019 को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। 2014 में तय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 10.29 करोड़ से अधिक शौचालय बने जिसमें 78,208 सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान महज 32.67 फीसदी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन 2019 तक सभी गाँव खुले से शौच से मुक्त हो चुके हैं। खुले में शौच से मुक्त गाँवों में माहौल बना रहे, इस तरफ भी ध्यान है। इसके तहत, 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 के दौरान चला, जिसमें 9.81 करोड़ लोगों ने श्रमदान में भाग लिया।

ग्रामीण इलाकों में सूचना और संचार क्रांति की ताकत

ट्राई की ताजा रिपोर्ट सूचना और संचार क्रांति के ग्रामीण विस्तार की दिशा बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 117.29 करोड़ मोबाइल फोन हैं। हमारा दूरसंचार घनत्व 85.13% है, जिसमें से शहरी 135% और ग्रामीण घनत्व 59% है। शहरी फोन उपभोक्ता 64.90 करोड़ हैं, जबकि ग्रामीण 52.38 करोड़। देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 83.86 करोड़ है, जिसमें से 80.81 करोड़ मोबाइल और 2.87 करोड़ वॉयरलाइन उपभोक्ता हैं। ब्राडबैंड में

सूचना और संचार क्रांति की मदद से ग्रामीण डाकघरों को नई ताकत मिली है। देश के 1.56 लाख डाकघरों में से 1.41 लाख गाँवों में हैं, जो बचत बैंक से लेकर मनी ट्रांसफर और आधार बनाने से लेकर ई-कामर्स, कोर बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। इस बीच, 2018 में आरंभ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी लोकप्रिय हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन शापिंग काफी हो रही है और डाकघरों की मदद से काम हो रहा है। कोर बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ तमाम आधुनिक साजो-सामान से लैस होकर ये ग्रामीणों के काफी काम आ रहे हैं। भारतीय डाक की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत सभी डाकघरों की नेटवर्किंग के साथ ग्रामीण डाकघरों को सक्षम बना दिया गया है।

शहरी उपभोक्ता 49.75 करोड़ हैं जबकि ग्रामीण 33.90 करोड़।

भारत सरकार गाँवों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट परियोजना चला रही है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में माना जा रहा है। देश में भारतनेट के तहत कुल 2,64,635 ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। करीब एक लाख ग्राम पंचायतों में यह काम दिसंबर 2017 में पहले चरण में पूरा हो गया। अब तक 1,84,399 पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है। करीब 1,04,664 ग्राम पंचायतों में जनवरी 2023 तक वाई फाई एक्सेस स्थापित हो चुके हैं। कोविड 19 महामारी में डिजिटल सेवाओं का असर देश भर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी दिखा।

देश में 5जी के शुरू होने से इंटरनेट की गति तेज हो रही है। भारत में दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट है। 2015 से 2021 के बीच इंटरनेट ग्राहकों में शहरी क्षेत्रों में 158% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 200% वृद्धि हुई।

ग्रामीण भारत में तेज बदलावों में सूचना और संचार क्रांति की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज देश के हर इलाके में इसके असर को देखा-समझा जा सकता है। गाँवों में संचार क्रांति के चलते खेतीबाड़ी से जुड़ी सूचनाएं हासिल करना, मंडी में उत्पाद भेजना, बेहतर तकनीक हासिल करना, ई-कामर्स, ई-शिक्षा और ई-स्वास्थ्य तक पहुँचाई आसान है। इसका असर भविष्य में गाँवों में कुम्हार, बुनकर, बढ़ई कारीगर जैसे पेशेवरों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। अब तक देश भर में 95% से अधिक आबादी 3जी और 4जी नेटवर्क से कवर हो चुकी है, जो ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के बाद देश की अर्थव्यवस्था की गति और तेज होगी।



डिजिटल ढाँचे के विकास पर फोकस

-बालेन्दु शर्मा दाधीच

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा दशक की परिकल्पना 'प्रौद्योगिकीय दशक' (टेकेड) के रूप में की है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगले आठ सालों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी और भारत के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बार का आम बजट 'प्रौद्योगिकीय दशक' और 'डिजिटल इंडिया' दोनों के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराने वाला दस्तावेज है। बजट इस तरफ संकेत करता है कि देश में हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकता के रूप में डिजिटल ढाँचे के विकास पर फोकस बना रहेगा। साथ ही, ई-गवर्नेंस की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा तथा उसका दायरा अधिक व्यापक होगा।

भारत को डिजिटल इंडिया में तब्दील करने का सपना साकार करने की दिशा में पिछले सात वर्षों से कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा दशक की परिकल्पना 'प्रौद्योगिकीय दशक' (टेकेड) के रूप में की है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगले आठ सालों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी और भारत के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस संदर्भ में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कुछ अन्य संबंधित विभागों व परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले प्रावधानों को लेकर

सबके मन में उत्सुकता थी। इस बार का आम बजट 'प्रौद्योगिकीय दशक' और 'डिजिटल इंडिया' दोनों के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराने वाला दस्तावेज है।

तो सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में क्या कहता है बजट? सबसे अहम बात यह है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 16,549 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल की तुलना में लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि बहुत बड़ी है और सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि आजादी के 75 वर्षों के बाद के काल को अमृतकाल के रूप में संबोधित किया जा रहा है



लेखक जाने-माने सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : balendu@gmail.com

सक्षमता को सामने लाना

सुशासन

- व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया
- 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया
- 5जी आधारित ऐप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी
- शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- अज्ञातनाम से आने वाले डेटा तक पहुँच बनाने के लिए राष्ट्रीय डेटा नीति लाई जाएगी
- पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी जिसमें डिजिटल और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा

@PIB_India @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia

और इस काल में सरकार की प्राथमिकताओं में प्रौद्योगिकी चालित तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। देश में डिजिटल आधारभूत ढाँचे की स्थापना का काम चल रहा है। एक तरफ, देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो दूसरी तरफ, चिप डिजाइन, वीएलएसआई डिजाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन गेमिंग जैसे क्षेत्रों पर फोकस है। ऐसे में प्रौद्योगिकी के लिए किए जाने वाले प्रावधान सामयिक हैं। दूसरी तरफ, बजट में प्रौद्योगिकी से जुड़े कई प्रावधान ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तक सीमित नहीं हैं बल्कि अनेक दूसरे मंत्रालयों तथा विभागों से जुड़े हैं।

बजट इस तरफ संकेत करता है कि देश में हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकता के रूप में डिजिटल ढाँचे के विकास पर फोकस बना रहेगा। साथ ही, ई-गवर्नेंस की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा तथा उसका दायरा अधिक व्यापक होगा। नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए डिजिटल साक्षरता से लेकर भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में काम को गति मिलेगी। सरकार अनेक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना चाहती है जिनमें शिक्षा और कृषि भी शामिल हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, प्रयोग तथा दोहन के संदर्भ में सरकार की दृष्टि व्यापक है। प्रसंगवश बजट में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 4,795.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल की तुलना में कम है लेकिन कुल

मिलाकर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रस्तावित खर्च में भारी वृद्धि हुई है।

सेमीकंडक्टर, चिप और डिस्प्ले विनिर्माण

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पिछले वित्त वर्ष में 14,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिसमें इस बार लगभग 2,549 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस धनराशि में से भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सेमीकंडक्टर का प्रयोग माइक्रोप्रोसेसर, जिसे 'चिप' भी कहा जाता है, में होता है जो डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इन उपकरणों में कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन के साथ-साथ ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल हैं जिनमें किसी-न-किसी तरह की प्रोसेसिंग होती है। जिस अंदाज में दुनिया में डिजिटल तकनीकों का प्रसार हो रहा है, उसे देखते हुए इनकी मांग अपने चरम पर है और कोविड के दौरान अनेक देशों में इनका विनिर्माण रुक जाने की वजह से इनकी पर्याप्त सप्लाई आज तक नहीं हो पा रही है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत-सी कारों के लिए कई महीनों की प्रतीक्षा सूची चल रही है। वह इसलिए कि इन कारों में भी माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग होता है। इस क्षेत्र में कारोबार के अवसरों की कमी नहीं है किंतु भारत इनके विनिर्माण में कोई विशेष दखल नहीं रखता था। अब यह स्थिति बदल रही है और सरकार के प्रोत्साहन के चलते भारत में इनका विनिर्माण गति पकड़ रहा है।

भारत में दशकों से इस बात की चर्चा होती रही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति होने के बावजूद सेमीकंडक्टरों के विकास के क्षेत्र में हम कोई ठोस शुरुआत क्यों नहीं कर सके। चीन और ताइवान जैसे देशों ने इनकी वैश्विक मांग का बहुत अच्छा लाभ उठाया है जबकि हम इनके लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। मोदी सरकार के दौर में हमने इस क्षेत्र में शुरुआत की है और बजट के प्रावधानों से भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण का पूरा तंत्र विकसित करने में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से दिए गए 3,000 करोड़ रुपये के कोष में से पहली बार 1,799 करोड़ रुपये भारत में कंपाउंड

दिसंबर 2021 में सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की थी। केंद्र सरकार विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन संयंत्रों संबंधी प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लिए बड़े अग्रिम निवेश करेगी और 50 प्रतिशत राजकोषीय सहायता देगी।

डिजिटल भुगतान क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने, सभी क्षेत्रों में रुपये डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। पिछले साल में इसके लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग (एटीपीपी), आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाओं आदि की स्थापना के लिए आवंटित किए गए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्रों की स्थापना की संशोधित योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यह क्षेत्र प्राथमिकता का क्षेत्र है। गत जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने हैदराबाद में एंबेडेड सिस्टम्स पर 22वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वीएलएसआई डिजाइन पर 36वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान वीएलएसआई डिजाइन और एंबेडेड सिस्टम के क्षेत्रों में अवसरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था सिर्फ चंद कंपनियों द्वारा संचालित तकनीकी सेवा उद्योग तक सीमित थी। सरकार ने पिछले साल नवाचार (इनोवेशन) और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सोच के साथ डिजिटल और प्रौद्योगिकीय ढाँचे को नए सिरे से स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। अब सरकार सिर्फ इंटरनेट के भविष्य या उपभोक्ता प्रौद्योगिकी के बारे में ही नहीं सोचती, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी सोचती है। आज भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग इकोसिस्टम में वैश्विक मानक क्षमताओं को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सेमीकॉन इंडिया प्यूचर डिजाइन कार्यक्रम के तहत ये कल्पना की गई है कि 2024 तक घरेलू स्टार्टअप वैश्विक बड़ी कंपनियों के साथ काम करेंगे और ऐसे आईपी व उपकरण विकसित करेंगे जो उनके सह-स्वामित्व या स्वामित्व वाले हैं।

डिजिटल भुगतान तथा दस्तावेजीकरण

देश में विभिन्न क्षेत्रों में दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण ने गति पकड़ी है। देश में एक डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ढाँचा मौजूद है जिसमें आधार, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल हैं। नया बजट इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने जा रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में जो अप्रत्याशित सफलता मिली है,

उसकी उम्मीद दुनिया में कम लोगों को रही होगी। लेकिन इस क्षेत्र में हमारी कामयाबी एक ठोस सच्चाई है। छोटे-छोटे गाँवों तक में लोग अपने मोबाइल फोन या नेटबैंकिंग आदि के जरिए धन का बड़ी सहजता से लेनदेन करते हैं जिससे न सिर्फ लेनदेन में सुगमता सुनिश्चित हुई है बल्कि पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली पर से बोझ भी घटा है और धन के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। पिछले साल देश में डिजिटल भुगतानों की संख्या में 76 फीसदी और लेनदेन किए गए धन में 91 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के तहत हम कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता से मुक्त हो रहे हैं। डिजिलॉकर और एम परिवहन जैसी डिजिटल सुविधाओं को बड़ी सफलता मिल चुकी है। नए बजट में इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए निकाय डिजिलॉकर की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इनमें छोटे तथा मझोले उद्यमों, बड़े कारोबारों तथा चैरिटेबल न्यासों के दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन सहेजने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे निकायों से संबंध रखने वाले विभिन्न विभागों, बैंकों तथा अन्य कारोबारी उपक्रमों के दस्तावेज इसके दायरे में आएंगे।

विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा डिजिटल हार्डवेयर के क्षेत्र में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी शुरू की थी, जो बहुत सफल रही है। आज भारत मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित कर रहा है। इस योजना के तहत कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए



सक्षमता को सामने लाना

पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था

- न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाने के लिए ई-न्यायालय का फेज-3 शुरू किया जाएगा
- एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए 'विवाद से विश्वास-1' लाया जाएगा
- सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए 'विवाद से विश्वास-2' लाया जाएगा
- दुर्लभ संसाधनों के बेहतर आबंटन के लिए चुनिंदा स्कीमों के वित्तपोषण को 'इनपुट आधारित' से 'परिणाम आधारित' में बदला जाएगा
- दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए एक 'निकाय डिजिलॉकर' स्थापित किया जाएगा

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @PIB_India @PIBHindi @PIBHindi @PIBHindi



आर्थिक मदद दी जाती है। वर्ष 2023-24 के बजट में भी इस योजना के लिए 4,499 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और भारत में निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर 3 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के बीच प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत भारत में निर्मित लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी जैसे सामानों के लिए बिक्री पर भी 2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के बीच प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस साल की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 14 क्षेत्रों में पीएलआई का विस्तार किया जाना है जिससे घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करने और भारत को इस क्षेत्र में एक वैश्विक ताकत बनाने में मदद मिलेगी। भारत में 31 दिसंबर, 2022 तक इस योजना के तहत 717 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी थी जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ दूसरे कई क्षेत्र भी शामिल हैं। एक क्षेत्र में कामयाबी के बाद सरकार दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह के प्रोत्साहन को आजमाना चाहती है। चीन ने अपने यहाँ पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन तथा करों में छूट देने की नीति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। आज भारत भी अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण इस स्थिति में है कि इस तरह के प्रोत्साहन दे सके।

केंद्र सरकार भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का वैश्विक केंद्र (ग्लोबल हब) बनाने की महत्वाकांक्षा प्रकट कर चुकी है और बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारगर तंत्र बनाने का रास्ता सुगम होगा।

स्टार्टअप के लिए नया क्या

भारत आज स्टार्टअप की संख्या के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। देश में लगभग 88,500 स्टार्टअप हैं और सौ से ज्यादा ऐसे हैं जिनका बाजार मूल्य सौ करोड़ अमेरिकी डॉलर (8000 करोड़ रुपये से अधिक) को पार कर चुका है। स्टार्टअप न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, हमारे यहाँ नवाचार

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाली है जिसके तहत इंडस्ट्री 4.0 जैसे कि कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन आदि से जुड़े नए दौर के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक विस्तार देने पर काम करने को प्रतिबद्ध है।

सरकार युवा ग्रामीण उद्यमियों को भी कृषि स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए कृषिवर्धक निधि की स्थापना की जा रही है। इस निधि का उद्देश्य किसानों की चुनौतियों के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। सरकार कृषि पद्धतियों में बदलाव लाने, उत्पादकता तथा लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए भी नई प्रौद्योगिकी के विकास तथा अमल को प्रोत्साहित करेगी।

को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आम लोगों तक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं बल्कि रोजगार सृजन का माध्यम भी बन रहे हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में वे निरंतर बने हुए हैं। इस बार के बजट में भी सरकार ने प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्र के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जैसे आयकर लाभ के लिए स्टार्टअप को शामिल करने की तारीख बढ़ाना, एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए एक एक्सेलेरेटर फंड की स्थापना, और लिथियम-आयन सेल के निर्माण पर सीमा शुल्क में छूट दिया जाना। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत पात्र स्टार्टअप को दी जाने वाली कर रियायतों का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया है।

स्टार्टअप्स को आयकर लाभ के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्ताव भी किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश की घोषणा पहली बार 2017-18 के बजट में की गई थी। तब सरकार ने कहा था कि 31 मार्च, 2016 के बाद गठित स्टार्टअप अपने निगमन के पहले सात वर्षों में तीन साल के लिए कर अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। यह अवधि 31 मार्च को खत्म होने वाली थी लेकिन अब इसे अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के संदर्भ में भी स्टार्टअप्स का जिक्र केंद्रीय बजट में हुआ है। कहा गया है कि दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित बड़े स्वयंसहायता समूहों को हर तरह से मदद करके इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों में सेवा देने के लिए सक्षम हो सकें, जैसे कि कई स्टार्टअप्स ने कर दिखाया है।

बजट में कौशल विकास और शिक्षा में डिजिटल तकनीकों के प्रयोग को रेखांकित किया गया है। शिक्षण संस्थानों में आईसीटी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा तथा बच्चों व किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।

यह बजट पिछले कुछ वर्षों में सरकार की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हासिल की गई महत्वपूर्ण सफलताओं पर स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त करेगा और नई सफलताओं का रास्ता खोलेगा।

नेताजी का स्मरण,

ए



आज हमारा यह प्रयास है कि नेताजी की
जन्मदिन का पथ-प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी
की प्रतिमा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और
निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा
इसके लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
कर्तव्य पथ से

भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का सम्मान करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का सम्मान करने को प्राथमिकता दी है। इसके तहत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नए भारत के उदय में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान को सम्मान देने के लिए कई पहलें की गई हैं। मोदी सरकार के प्रयास एक महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता के रूप में नेताजी की भूमिका को स्थापित करते हैं और इस दिशा में किए गए उपायों में उनकी जयंती

23 जनवरी को पराक्रम दिवस

के रूप में 2021 से हर वर्ष मनाना शामिल है।

नेताजी बोस

ने दिसम्बर 1943 में अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में
तिरंगा फहराया।

दिल्ली के लाल किले में तिरंगा फहराने के उनके सपने को याद करते हुए,
मोदी सरकार ने नेताजी और आज़ाद हिन्द फौज के लिए लाल किले में एक
संग्रहालय समर्पित किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से नेताजी के
स्वतंत्रता-पूर्व संबंध पर बल देने की दिशा में एक और कदम में, 16 अक्टूबर
2021 को, मोदी सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज़ाद हिन्द
फौज सेतु राष्ट्र को समर्पित किया।

आज़ाद भारत के लिए नेताजी का विज़न

नेताजी ने अपने काम और दृष्टिकोण के माध्यम से एक प्रगतिशील और सफल
भारत के लिए युवा और वरिष्ठ नेताओं दोनों की आकांक्षाओं का समान रूप
से प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री मोदी देश और देशवासियों के सर्वांगीण
विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए

“एक भारत श्रेष्ठ भारत”

के मिशन के माध्यम से नेताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। फ़रवरी 1938
में, हरिपुरा में 51वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र ने सर्वसम्मति से नेताजी को
आईएनसी अध्यक्ष के रूप में चुना। नेताजी ने देश की स्वतंत्रता और पुनर्निर्माण
तथा भावी भारत के लिए योजना समिति के गठन पर बल दिया। प्रांतीय
कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों को उनके द्वारा लिखे पत्र ने भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रेरित किया है। विविधता में एकता के भारत
के सिद्धान्त पर जोर देते हुए, 1941 में, नेताजी ने हर जाति, धर्म और क्षेत्र के
पुरुषों को भर्ती करके आज़ाद हिन्द फौज को स्वतंत्रता के लिए गठित किया।
जब पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस चल रही थी, तब
आज़ाद हिन्द फ़ौज (आईएनए) में महिलाओं को शामिल करने के लिए

नेताजी ने

“रानी झाँसी रेजिमेंट”

की स्थापना की।



सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का मोदी सरकार का फैसला
देश की उन्नति और विकास में महिलाओं की बड़ी भूमिका के लिए नेताजी
के दृष्टिकोण को दिखाता है।



प्रधानमंत्री मोदी ने
दिल्ली के कर्तव्य पथ
पर नेताजी की प्रतिमा
का अनावरण किया।

पराक्रम दिवस एवं नेताजी की 125वीं जयंती

स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान के लिए भारतियों में गर्व की भावना
जगाने के लिए मोदी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से नए स्मारक और
संस्थान बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सितम्बर 2022 को इंडिया गेट के पास
मंडप में

नेताजी की प्रतिमा का अनावरण

करके भारत में नेताजी के योगदान का सम्मान करने का एक और प्रयास किया।
28 फुट ऊंची यह प्रतिमा एक ही चट्टान को तराशकर बनाई गयी है और भारत
की सबसे बड़ी और सबसे जीवंत मूर्तियों में से एक है। सरकार ने राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी की 125वीं जयंती मनाने का फैसला किया और 23
जनवरी 2021 को समारोह की शुरुआत हुई। मोदी सरकार ने नेताजी की देशभक्ति
की भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा को याद करने का निर्णय लिया और
अब गणतन्त्र दिवस समारोह की शुरुआत पराक्रम दिवस से होती है। यह देश
के लोगों, विशेष रूप से युवाओं को नेताजी के तरह विपरीत परिस्थितियों का
सामना करने के लिए प्रेरित करने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने वाला
कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में
पराक्रम दिवस समारोह की अध्यक्षता की। नेताजी के विषय पर आधारित एक
सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘अमरा नूतन जौबोनेरी दूत’ भी आयोजित किया गया था
और इसमें एक स्थायी प्रदर्शनी ‘निर्भीक सुभाष’ नेताजी पर एक 3D प्रोजेक्शन
मैपिंग शो, ‘लेटर्स ऑफ़ नेताजी’ नामक पुस्तक का विमोचन और नेताजी की
स्मृति में एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्के का विमोचन शामिल था।

जनवरी 2021 में देश के प्रति नेताजी की विरासत का सम्मान करते हुए,
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हावड़ा-कालका मेल का
नाम बदलकर “नेताजी एक्सप्रेस” कर दिया। ध्यान देने योग्य बात यह है
कि हावड़ा-कालका मेल भारतीय रेलवे की सबसे लोकप्रिय और पुरानी ट्रेनों में
से है। यह हावड़ा (पूर्वी रेलवे) से दिल्ली होते हुए कालका (उत्तरी रेलवे) तक
चलती है और यह भारत के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ती है।

उनकी विरासत का सम्मान

नेताजी को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार की मुख्य पहल

दिनांक	घटना	स्थान
14 अक्टूबर, 2015	नेताजी से जुड़े अभिलेखों और फाइलों को सार्वजनिक करना	नई दिल्ली
21 अक्टूबर, 2018	नेताजी के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया	नई दिल्ली
30 दिसंबर, 2018	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया	पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
23 जनवरी, 2019	सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन	शाल गिरी, नई दिल्ली
25 फरवरी, 2019	राष्ट्रीय समर स्मारक का उद्घाटन	इंडिया गेट, नई दिल्ली
20 जनवरी, 2021	इंफा-कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया	हावड़ा-कालका
22 जनवरी, 2021	"राष्ट्र निर्माण में युवाओं के लिए नेताजी की शिक्षा और इसकी सतत बढ़ती प्रसंगिकता" पर चर्चा	चर्चुभल कॉन्फ्रेंसिंग
22 जनवरी, 2021	पर्यटन मंत्रालय की "21वीं सदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रसंगिकता" पर 'देखो अपना देश' वेब सीरीज	चर्चुभल कॉन्फ्रेंसिंग
23 जनवरी, 2021	निर्वाचक सुभाष : नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
16 अक्टूबर, 2021	हमकी स्टेट क्रीक पर आज़ाद हिंद फौज सेनू का उद्घाटन	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
23 मार्च, 2022	बिप्लबी भारत गैलरी का उद्घाटन	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
8 सितंबर, 2022	नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण	इंडिया गेट, नई दिल्ली

अंडमान से नेताजी का जुड़ाव और नेताजी से संबंधित कागजात सार्वजनिक किए गए

23 जनवरी, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय न केवल नेताजी के जीवन और आज़ाद हिन्द फौज के इतिहास की विस्तृत जानकारी देता है, बल्कि दोनों से संबंधित अनेक मूल्यवान कलाकृतियों को भी प्रदर्शित करता है।

नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2018 में दो संस्थानों - नई दिल्ली में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और जमशेदपुर के पोखरी में नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के नाम उनके नाम पर रखे गए।

2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के रॉस नामक द्वीप का नाम बदलकर

"नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप" रखा



2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी के भारतीय सरज़मी पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में रॉस द्वीप का नाम बदलकर "नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप" कर दिया। उसी वर्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए "सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार" की स्थापना की। 14 अक्टूबर 2015 को नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की लंबे समय से लंबित मांग पर गौर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर नेताजी के परिवार के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान घोषणा की कि सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके कार्यों से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करेगी। मई 2016 तक नेताजी और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सभी अभिलेखों को सार्वजनिक कर दिया गया और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखा गया।

नेताजी के जीवन की प्रमुख घटनाएँ

— दिनांक — घटना — स्थल

प्रधानमंत्री मोदी की नेताजी को श्रद्धांजलि

नेताजी के एकजुट, स्वतंत्र और समृद्ध भारत के विचार के लिए उनके योगदान को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल के विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका और ब्रिटिश शासन के प्रति उनके सशस्त्र प्रतिरोध को दर्शाया गया है। इस गैलरी में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण संगठनों के गठन, नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द फौज (आईएनए) के पुनरुत्थान और तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ नौसेना का विद्रोह और उसके योगदान पर प्रकाश डाला गया है। 78 साल पहले 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार के गठन की याद में अमृत महोत्सव के तहत 21 अक्टूबर 2021 तक भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रमों में आईएनए के वरिष्ठ सदस्यों, स्कूली बच्चे, स्थानीय समुदाय और अन्य की भागीदारी ने जन भागीदारी का एक अच्छा उदाहरण पेश किया। ओडिशा, मणिपुर और नागालैंड सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में संस्कृति मंत्रालय ने भारत और सिंगापुर के विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के साथ इलाकों और भौगोलिक क्षेत्रों में एकीकृत कार्यक्रम कैलेंडर के आयोजन का नेतृत्व किया।

अक्टूबर 2021 में आज़ाद हिंद फौज पुल को नेताजी को समर्पित किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा उनके बलिदान और वीरतापूर्ण कार्यों को याद रख सकें। पुल की लंबाई 1.45 किमी है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमकी स्टेट क्रीक के ऊपर से गुजरता है। यह उत्तर, मध्य और दक्षिण अंडमान को जोड़ता है और यह 1943 में नेताजी की द्वारा अंडमान को आज़ाद करने और तिरंगा फहराने का प्रतीक है।

23 जनवरी, 2023 को नेताजी की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर प्रस्तावित नेताजी स्मारक के मॉडल का अनावरण किया।

भविष्य के भारत पर नेताजी का प्रभाव

इंडिया गेट के छत्र के नीचे नेताजी की प्रतिमा का अनावरण और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रणों वाले विचार से प्रभावित है। नेताजी की जयंती को शामिल करना भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं का उत्सव मनाने पर प्रधानमंत्री के जोर के अनुरूप है।

मोदी सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों की सराहना करने के लिए नई दिल्ली में नेताजी की मूर्ति का अनावरण और सालों पुरानी औपनिवेशिक सोच को मिटाना, 2019 में उनके नाम पर एक संग्रहालय समर्पित करना, नेताजी जैसे दूरदर्शी भारतीय कद्दावर नेताओं के पिछले आदर्शों पर मजबूत पकड़ रखते हुए भविष्य में देश का नेतृत्व करने के लिए पाठ प्रदर्शक का कार्य करेगा।

1938	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित बंकिम, लाल, नटो का गढ़
1939	फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया सकायत, काका प्रभो
1941	इटली के तत्कालीन विदेश मंत्री बेनियाज़ो सिगालो से मुलाकात की इटली
1942	आज़ाद हिंद फौज का गठन
1943	आईएनए की रानी ज़ांसी रेजिमेंट बनाई
1943	अंडमान को आज़ाद कराया और तिरंगा फहराया पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप समूह
1943	प्रसिद्ध "दिल्ली चलो" संवोधन दिया फैजपुर, दिल्ली
1943	आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन केपे सिटी, सिंगापूर
1943	अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री
1944	आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की मुंबई, पोखरी

युवाओं में कौशल विकास पर जोर

-सतीश सिंह

हमारे देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, जिनमें जोश भी है और वे कुछ नया करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर उनके नवाचार विचारों व पहलों को खाद-पानी दिया जाए या उन्हें कारोबार की शक्ति दी जाए तो उन्हें तो फायदा होगा ही; साथ ही, देश का भी विकास होगा। लिहाजा, मौजूदा परिवेश में यह कहना समीचीन होगा कि युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर देश को समृद्ध बनाया जा सकता है। लिहाजा, पीएमकेवीवाई, एसवीईपी, दीनदयाल अंत्योदय योजना आदि की मदद से शहरी और ग्रामीण इलाकों में युवाओं को कौशलयुक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 136 करोड़ हो सकती है, जिसमें 15 से 29 वर्ष के युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 27.3 प्रतिशत यानी 37.14 करोड़ होने का अनुमान है। चूँकि अभी जनगणना नहीं हुई है इसलिए इस अनुमान को आधार मानकर युवाओं को कौशलयुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। हालाँकि युवाओं की अनुमानित आबादी, जो 37.14 करोड़ है, को बेरोजगार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अमूमन भारत में युवा 20 से 25 वर्ष तक पढ़ाई करते हैं या उन्हें रोजगार के योग्य नहीं माना जाता है।

सेक्टर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार सितंबर 2022 में बेरोजगारों की संख्या 2.78 करोड़ थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 3.34 करोड़, नवंबर में 3.5 करोड़ और दिसंबर में 3.71 करोड़ हो गई। सीएमआईई के आंकड़ों के आधार पर सरकार को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र 3.71 करोड़ युवाओं को कौशलयुक्त बनाने की जरूरत है, ताकि अर्थाभाव में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को जीवनयापन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े या फिर उनमें से कुछ युवाओं को पैसे की कमी की वजह से आत्महत्या जैसे कठोर कदम न उठाने पड़ें।

वैसे, देश में 3.71 करोड़ युवाओं का बेरोजगार होना यह दर्शाता है कि हमारे देश के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर हुनरमंद बनाने पर पहले से जोर नहीं दिया गया, अन्यथा बेरोजगार युवाओं की इतनी बड़ी तादाद देश में नहीं होती। साथ ही, देश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर गुलाबी होती, क्योंकि अगर युवा

हुनरमंद होते तो वे बेरोजगार नहीं होते और यदि वे बेरोजगार नहीं होते तो देश में आर्थिक गतिविधियाँ उल्लेखनीय रूप से तेज होती। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि स्कूल में ही किशोर युवाओं को कौशलयुक्त बनाया जाए, ताकि देश में बेरोजगारी की समस्या का जड़ से उन्मूलन किया जा सके।

रोजगार से अभिप्राय है कि युवा कहीं नौकरी करके जीवनयापन करें या फिर स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार करके जीवनयापन करें। दोनों स्थितियों में हुनर या कौशल का होना जरूरी है। कोई भी कंपनी या संस्थान कौशलयुक्त युवा को ही नौकरी पर या काम पर रखना पसंद करता है। यदि कोई युवा हुनरमंद है, तो वह आसानी से स्वरोजगार या खुद का रोजगार



लेखक वरिष्ठ स्तंभकार और बैंकिंग और आर्थिक मामलों के जानकार हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई स्थित आर्थिक अनुसंधान विभाग में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : satish5249@gmail.com

शुरू कर सकता है। उदहारण के तौर पर नाई, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, साईकिल या मोटर साईकिल मिस्त्री या फिर कार या ट्रक या ट्रैक्टर मिस्त्री, प्लम्बर, लोहार, ठठेरा आदि कभी भी बेरोजगार नहीं रहते हैं क्योंकि वे हुनरमंद या कौशलयुक्त होते हैं। इसलिए देश में से बेरोजगारी का समूल नाश करने के लिए जरूरी है कि सभी युवाओं को हुनरमंद या कौशलयुक्त बनाया जाए।

अगर युवा रोजगार करेगा तो आत्मनिर्भर होगा और अगर आत्मनिर्भर होगा तो समाज के हर तबके के हर व्यक्ति को दो वक्त की रोटी मिल सकेगी और देश का समावेशी विकास मुमकिन हो सकेगा। सरकार अच्छी तरह से इस सच को जानती है कि बेरोजगारी देश के विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है और अगर इस रोड़े को रास्ते से हटा दिया जाए तो देश में विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसलिए मौजूदा समय में सरकार देश के युवाओं को हुनरमंद या कौशलयुक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है।

क्यों जरूरी है कौशलयुक्त मानव संसाधन

मेक इन इंडिया या उद्यमिता या फिर स्टार्टअप की सफलता के लिए कौशलयुक्त कामगारों की जरूरत होती है। इसलिए कौशलवर्धन, मेक इन इंडिया, उद्यमिता और स्टार्टअप के विकास के लिए सरकार ने अलग-अलग मंत्रालय बनाए हैं, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

कौशल विकास के लिए व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण के ढांचे का निर्माण जरूरी है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के तेजी से पलायन ने भी युवाओं को कौशलयुक्त बनाने की जरूरत को बढ़ाया है। कौशलवर्धन के जरिए मेक इन इंडिया, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सकता है। कौशल विकास युवाओं के आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही, यह युवाओं के नेतृत्व कौशल को बढ़ाने में सहायता करता है। यह छात्रों को स्वतंत्र विचारक बनने में मदद करता है और उन्हें अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

केंद्र सरकार ने युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए 15 जुलाई, 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के दिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की शुरुआत की। पीएमकेवीवाई की संकल्पना को साकार करने का कार्य कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने किया है, जबकि इसे अमलीजामा पहनाने का कार्य राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) कर रहा है।

पीएमकेवीवाई योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर व फिटिंग, हैंडीक्रॉफ्ट, जेम्स एवं ज्वेलरी व लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्रों के संबंध में 18 से 35 वर्ष के बीच के



शिक्षा और कौशल तक पहुंच

समावेशी विकास

- शिक्षा के व्यय में वृद्धि: वित्त वर्ष-23 की जीडीपी का 2.9 प्रतिशत
- ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के ज़रिए अध्यापकों का प्रशिक्षण को पुनः परिकल्पित किया जाएगा
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना
- राज्यों को पंचायतों और वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रोत्साहन
- लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 की शुरुआत

[@PIB_India](#)
[@PIBIndia](#)
[@PIBIndia](#)
[@PIBIndia](#)
[@PIBIndia](#)
[@PIBIndia](#)
[@PIBIndia](#)
[@PIBIndia](#)

युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षण पूरा होने पर लाभार्थियों को 8000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ताकि वे बीच में प्रशिक्षण न छोड़ें।

पीएमकेवीवाई योजना के तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को कौशलयुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जोकि युवाओं की अनुमानित आबादी के आधार पर रखा गया है। पीएमकेवीवाई का पहला चरण, जो वर्ष 2015 से वर्ष 2016 तक चला, के दौरान 19.85 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। दूसरे चरण, जो वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक चला, के दौरान 1.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। पीएमकेवीवाई 2.0 के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। चूंकि पीएमकेवीवाई के पहले और दूसरे चरण में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित नहीं किया जा सका, इसलिए, पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत वर्ष 2023 तक फिर से 40.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इस लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन प्रतीत नहीं हो रहा है।

जनजातीय युवाओं के कौशल विकास की पहल

हाशिये में रहने वाले आदिवासियों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए गए हैं, ताकि उन्हें स्वच्छ जल, सुरक्षित आवास, पोषक तत्वों से युक्त भोजन आदि उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने आगामी 3 सालों में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाये जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,000 अध्यापकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने का ऐलान बजट में किया है, ताकि

कौशलवर्धन हेतु केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रावधान

पीएमकेवीवाई 4.0 का ऐलान

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को इसके तहत पीएमकेवीवाई 4.0 को लागू करने की घोषणा की। वित्तमंत्री ने कहा कि आगामी 3 सालों में 47 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सृजित हो रहे अवसरों के लिए योग्य व कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी बजट में वित्तमंत्री के द्वारा की गई।

नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन को मूर्त रूप देने की बात भी वित्त मंत्री ने बजट में कही। वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं को कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नवाचार वाले पाठ्यक्रमों से रूबरू करवाया जाएगा, ताकि बदले परिवेश के अनुसार उनके कौशल में इजाफा हो और वे रोजगार के अवसरों को आसानी से अपनी मुठ्ठी में करने में समर्थ हो सकें। सरकार एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू करेगी और कौशलवर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को सरकार के द्वारा और भी विस्तार दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत एक कोष का निर्माण किया जाएगा, जिसकी मदद से कलाकारों और हस्तशिल्पियों की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। इस कोष से कलाकारों और हस्तशिल्पियों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जाएगी और युवा कलाकारों और हस्तशिल्पियों के कौशल का उन्नयन भी किया जाएगा। इस योजना के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं आदि को मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास

स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशलयुक्त नर्सिंग स्टाफ की कितनी जरूरत है, इसका पता कोरोना काल में हमें अच्छी तरह से चल चुका है। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास की पारिस्थितिकी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2014 से स्थापित 157 मेडिकल कॉलेजों के सहस्थापन में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा बजट में की गई है, ताकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या में संतुलन बना रहे और मरीजों की बेहतर तरीके से देखभाल की जा सके।

समाज के इस वंचित तबके को कौशलयुक्त बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। साथ ही, देश में समावेशी विकास की संकल्पना को और भी मजबूत बनाया जा सके।

अन्य प्रमुख रोजगारपरक योजनाएं

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि तकनीकी संस्थानों में निशुल्क आयोजित करता है, ताकि उद्यमी किसी भी क्षेत्र में उद्यम शुरू करने में समर्थ हो सकें। अधिक से अधिक उद्यमी ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें, इसके लिए प्रत्येक उद्यमी को प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिए जाते हैं। एमएसएमई मंत्रालय का उद्देश्य है कि सूक्ष्म, लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण प्रशिक्षित किए जाएं, क्योंकि एमएसई के विकास की संभावना ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। मंत्रालय यह भी ध्यान देता है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल लाभार्थियों में से समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांगों की संख्या कम-से-कम 20 प्रतिशत हो।

प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता

इसका उद्देश्य कौशल विकास के लिए माइक्रो-स्मॉल एंड

मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में भौतिक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन दोनों की क्षमता का निर्माण करना है। एटीआई को सहायता देकर एमएसएमई मंत्रालय अवसंरचना के सृजन व सुदृढ़ीकरण, उद्यमिता विकास, कौशल विकास आदि के लिए विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। साथ ही, यह मंत्रालय केवीआईसी, कॉयर बोर्ड, एनएसआईसी आदि के माध्यम से भी कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम करता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की डीडीयू-जीकेवाई योजना के तहत गरीब ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि वे पूरी लगन से किसी क्षेत्र विशेष में अपने कौशल को विकसित करके आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना को लागू करने का मकसद प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें जीवनयापन हेतु शहर पलायन नहीं करना पड़े।

दीनदयाल अंत्योदय योजना

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आपस में विलय करके उसे दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य रोजगारपरक उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, स्वयंसहायता समूह का निर्माण करने और बेघरों को आवास मुहैया कराने और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को आजीविका उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है।

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना 2022 की शुरुआत की है इस योजना के जरिए शहरी गरीब परिवारों की गरीबी को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम बनाना है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना 2022 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्त कर आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके तहत 1,000 से अधिक स्थायी आश्रय स्थापित किए गए हैं, जिसकी मदद से कम से कम 60,000 बेघरों को घर मुहैया करवाया जाएगा। इसके तहत 16 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान कर उन्हें पहचान पत्र दिए गए हैं। 9 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी प्रदान की गई है। आठ लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को सब्सिडी वाले ऋण दिए गए हैं और 34 लाख से अधिक शहरी महिलाओं को स्वयंसहायता समूह से जोड़ा गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और सामाजिक सुरक्षा व कौशल विकास के लिए कार्य किया जा रहा है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना 2022 का उद्देश्य गरीब ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और युवाओं को प्रशिक्षित करके उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत बेघरों के लिए घर का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही, जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सभी गरीब शहरियों को 18 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। सरकार की तरफ से प्रत्येक महिला स्वयंसहायता समूहों को भी 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

आज स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और समूह उद्यमों दोनों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। यह मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों

में उद्यमों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों की मदद करता है। एसवीईपी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, उद्यमों की स्थापना में मदद करने और उद्यमी के कौशल उन्नयन का काम करता है, जिसमें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का काम भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान करता है। यह हर ब्लॉक में उद्यम से संबंधित सूचनाएं उद्यमियों को उपलब्ध कराता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ हाल ही में करार किया है, जिसके तहत ग्रामीण उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए बैंक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। एकीकृत आईसीटी तकनीकों और उपकरणों से ग्रामीणों की क्षमता निर्माण हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत देश के गाँवों में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उपक्रम सलाहकार सेवाएं प्रदान की जाएंगी। परियोजना के लाभार्थियों में दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित स्वयंसहायता समूह शामिल हैं। यह योजना न सिर्फ मौजूदा उद्यमों बल्कि नए उद्यमों की भी सहायता करेगी।

कौशलवर्धन से मेक इन इंडिया, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी ताकि देश में निर्माण की गतिविधियों में तेजी आए और निवेश को बढ़ावा मिले। वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के दौरान मेक इन इंडिया की संकल्पना को अमलीजामा पहनाने से 27 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश में ही उत्पादन कार्य शुरू किया जा सका है जिनमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें कारोबार की प्रक्रिया और कारोबार की शर्तों को आसान बनाना, लाइसेंसों की जरूरत को कम करना या अनावश्यक लाइसेंसों को हटाना आदि शामिल हैं।

मेक इन इंडिया की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के द्वार भी खोले गए। देश में एफडीआई का अंतर्वाह आए, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'इंवेस्ट इंडिया' वेबसाइट भी शुरू की थी, जिसका देश को फायदा भी मिला है। वित्त वर्ष 2013-14 में एफडीआई का अंतर्वाह 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 83.6 अरब डॉलर हो गया, जो 2014 की तुलना में लगभग दोगुना है।

मेक इन इंडिया को सफल बनाने और विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने में प्रोडक्शन लिंकड इंसेटिव (पीएलआई),





बजट में कृषि से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा

बजट भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने डिजिटल तकनीक से खेती-किसानी को बढ़ावा देने की बात कही। इसके तहत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा और किसानों को फसलों के बारे में जानकारी, कौन-सी फसल कब और कैसे उगाई जाए, फसलों की देखभाल कैसे की जाए, बैंक से कैसे ऋण लिया जाए, फसलों एवं अन्य कृषि से जुड़े उत्पादों का बीमा कैसे करवाया जाए, बाजार की जानकारी आदि किसानों को उपलब्ध करायी जाएगी, ताकि जानकारी के अभाव में उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। युवाओं को कृषि से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने के लिए हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए एक कृषि कोष का निर्माण किया जाएगा।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) का वर्ष 2021 में शुरू करना, ताकि निवेशकों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें, प्रधानमंत्री गतिशक्ति का आगाज, एक जिला एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) आदि योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज मेक इन इंडिया की मदद से हुनरमंद युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। साथ ही, देश में समावेशी विकास की अवधारणा को भी बल मिल रहा है। इस संकल्पना की मदद से आगामी वर्षों में भारत की आयात पर से निर्भरता भी कम होने की संभावना है।

उद्यमिता

उद्यमी वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो जोखिम उठाता है और संसाधनों का प्रबंधन उद्यम को बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन यह कार्य सिर्फ कौशलयुक्त मानव संसाधन ही कर सकता है। जब कोई हुनरमंद उद्यमी, किसी उद्यम, जैसे, सेवा या विनिर्माण से जब आय अर्जित करता है तो उसे 'उद्यमिता' कहते हैं। उद्यमिता, उद्यमी को रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम है। उद्यमिता की मदद से उद्यमी खुद भी आत्मनिर्भर बन सकता है और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सकता है।

स्टार्टअप्स

कौशलयुक्त मानव संसाधन देश में खुद का कारोबार शुरू कर सकें, इसके लिए सरकार बीते सालों स्टार्टअप की संकल्पना लेकर आई थी। युवा स्टार्टअप शुरू कर सकें, इसके लिए सरकार उन्हें हर मुमकिन सहायता मुहैया करा रही है और बैंक भी उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी, 2016 को भारत में स्टार्टअप इंडिया का आगाज किया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), देश में अधिक-से-अधिक स्टार्टअप्स मूर्त रूप

लें, इसके लिए कार्य कर रहा है। राज्य सरकारें स्टार्टअप्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और उनके द्वारा किए जा रहे कामों की पूछ-परख हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप श्रेणी या रैंकिंग घोषित करने की शुरुआत की है।

युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए डीपीआईआईटी ने वर्ष 2020 से 'राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार' भी उन्हें देना शुरू किया है ताकि सेवा, उत्पाद, नवाचार, समाज में बदलाव, रोजगार सृजन आदि क्षेत्रों में उद्यमी और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रोजगार सृजन, उत्पादन बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में पहले से मौजूद कंपनियों या उद्यमों की तुलना में ज्यादा रोजगार सृजित करने में स्टार्टअप्स सफल रहे हैं। आज स्टार्टअप पारिस्थितिकी देश में पहले से स्थापित कंपनियों को अपने कार्यों में नवाचार उपाय व प्रौद्योगिकी अपना कर और सस्ती लागत व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा देने का काम कर रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन और सेवाओं में सुधार हो रहा है।

निष्कर्ष

कौशलवर्धन, मेक इन इंडिया, उद्यमिता और स्टार्टअप आर्थिक विकास के कारक भी हैं और वाहक भी। इनकी मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत बनने की दिशा में अग्रसर है। इनके बिना राज्य या देश का विकास नहीं हो सकता है। कुशल उद्यमी ही मांग और आपूर्ति की गति को तेज करता है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाता है। इनके बिना न तो मेक इन इंडिया के उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है और न ही उद्यम या स्टार्टअप के जरिए आय अर्जित की जा सकती है।

पीएमकेवीवाई, एसवीईपी, दीनदयाल अंत्योदय योजना आदि की मदद से शहरी और ग्रामीण इलाकों में युवाओं को कौशलयुक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि युवाओं के कौशलवर्धन से मेक इन इंडिया, उद्यमिता और स्टार्टअप के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो सकता है। हमारे देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, जिनमें जोश भी है और वे कुछ नया करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर उनके नवाचार विचारों व पहलों को खाद-पानी दिया जाए या उन्हें कारोबार की शक्ति दी जाए तो उन्हें तो फायदा होगा ही, साथ ही, देश का भी विकास होगा।

संदर्भ

<http://www.pmkvyofficial.org/>

भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की वेबसाइट

बजट दस्तावेज

<https://msde.gov.in/>, <https://rural.nic.in/>, <https://www.india.gov.in/>, <https://msme.gov.in/>



शिक्षा में समावेशी विकास के प्रयास

-राशि शर्मा
-पूरबी पटनायक

वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पिछले बजटों में की गई शुरुआतों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस बजट से शिक्षा, कौशल उन्नयन, उद्यमिता, अनुसंधान और विकास, डिजिटल अवसंरचना, हरित प्रगति तथा रोजगार सृजन को बल मिलने की संभावना है। यह सौ साल के भारत के लिए एक सुविचारित खाका सामने रखता है। इसमें देश को प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के लिए ठोस बुनियाद रखी गई है।

इक्कीसवीं सदी की नई हकीकत ने शिक्षा के उद्देश्यों और मानकों को हर जगह बदल दिया है। डिजिटल कौशल और साक्षरता समेत सूचना प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा के जीवन का आधार बन गई हैं। इस सदी के शिक्षक को खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल सकने वाला और सकारात्मक होना चाहिए। उसे अपनी क्षमता का लगातार विकास करते हुए नए सवालों के जवाब और मसलों के हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए।

शैक्षिक और निजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सार्वकालिक ज्ञान की गहरी समझ और संचय महत्वपूर्ण भले ही हो, मगर यह पर्याप्त नहीं हैं। प्रभावी सामाजिकता के लिए आलोचनात्मक सोच, सहयोग और संसाधन प्रबंधन जरूरी है। युवाओं को सक्षम होने के साथ ही विचारवान, सृजनशील और नवोन्मेषी भी होना चाहिए ताकि वे बाधाओं को लांघते हुए समाज के विकास में योगदान कर सकें।

शिक्षा कामकाजी उम्र वालों की रोजगार की क्षमता बढ़ाती है। साथ ही यह गरीबी और सामाजिक अलगाव के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए समानता को भी बढ़ावा देती है। संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। इसका उद्देश्य 2030 तक समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और हर किसी के लिए जीवन भर अध्ययन के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य का परिवर्तनकारी प्रभाव गरीबी उन्मूलन, भूख निवारण और लैंगिक समानता जैसे ज्यादातर अन्य एसडीजी पर पड़ सकता है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

संवहनीय विकास के लिए हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना अनिवार्य है। स्रोत : यूडीआईएसई प्लस 2021-22

राशि शर्मा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में निदेशक रह चुकी हैं वर्तमान में संचार मंत्रालय के डाक विभाग में उपमहानिदेशक हैं। पूरबी पटनायक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तकनीकी समर्थन समूह की प्रधान मुख्य सलाहकार हैं।

ई-मेल : rashieds@gov.in, purabi.pattanayak@gmail.com

इससे बच्चों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए कौशल मिलते हैं ताकि वे उत्पादक नागरिक के रूप में देश और खुद की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान कर सकें। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को देश के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह युवाओं में कौशल निर्माण तथा अनुकूल, मुक्त और बहुभाषी माहौल में उनके सर्वांगीण विकास का संवर्धन करती है।

देश में स्कूली शिक्षा

पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 की वैश्विक महामारी की वजह से स्कूल लंबे समय तक बंद रहे। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक रुझान देखने को मिले हैं। इससे उम्मीद जगती है कि वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षा में उत्पन्न फासलों को योजनाबद्ध और लगातार हस्तक्षेप से दूर किया जा सकेगा।

स्कूल तक पहुँच बच्चों के शिक्षा के अधिकार का ऐसा हिस्सा बन गई है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस कानूनी प्रावधान को व्यवहार में भी व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी

तालिका-1 : लड़कियों और लड़कों का जीईआर





स्कूली शिक्षा के मुख्य बिंदु

बजट आवंटन में 5355.48 करोड़ रुपये यानी 8.44 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन 63449.37 करोड़ रुपये था जो 2023-24 में बढ़ कर 68804.85 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त वर्ष 2022-23 के 59052.78 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में यह वृद्धि 9752.07 करोड़ रुपये यानी 16.51 प्रतिशत की रही है। कुल 68804.85 करोड़ रुपये में योजना आवंटन 54374.48 करोड़ रुपये और गैर-योजना आवंटन 14430.37 करोड़ रुपये है।

समग्र शिक्षा - इस पर आवंटन में 70.11 करोड़ रुपये यानी 0.18 प्रतिशत की वृद्धि की गई। वित्त वर्ष 2022-23 के 37383.36 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 में 37453.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

पीएम पोषण - इस योजना के लिए आवंटन में 1366.25 करोड़ रुपये यानी 13.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में आवंटित रकम 10233.75 करोड़ रुपये थी जो 2023-24 में 11600 रुपये हो गई।

पीएम श्री - इस योजना के लिए 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह रकम 2022-23 के 1800 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 2200 करोड़ रुपये यानी 122.22 प्रतिशत अधिक है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्टार योजना - इस योजना के लिए 2022-23 में 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जो 2023-24 में 800 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह इसमें 250 करोड़ रुपये यानी 45.45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

नया भारत साक्षरता कार्यक्रम - इसमें 30 करोड़ रुपये यानी 23.62 प्रतिशत की वृद्धि की गई। वित्त वर्ष 2022-23 में इसके लिए 127 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और 2023-24 में यह रकम 157 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) - केवीएस के लिए 2023-24 में 8363.98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि 2022-23 के 7650 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 713.98 करोड़ रुपये यानी 9.33 प्रतिशत ज्यादा है।

नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) - एनवीएस के बजट में 1371.50 करोड़ रुपये यानी 33.32 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह 4115 करोड़ रुपये था जो 2023-24 में बढ़ कर 5486.50 करोड़ रुपये हो गया।

है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2021-22 में स्कूली सुविधाओं की कुल पहुँच दर (जीएआर) प्राथमिक स्तर पर 97.49 प्रतिशत, उच्चतर प्राथमिक में 97.01 प्रतिशत और माध्यमिक में 95.48 प्रतिशत हो चुकी थी।

दाखिलों और बुनियादी सुविधाओं में इजाफा : शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई प्लस) और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्कूलों में दाखिल बच्चों की संख्या 26.5 करोड़ है। स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में लड़कियों का कुल दाखिला अनुपात (जीईआर) लड़कों से ज्यादा या उनके बराबर है। यह शिक्षा तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है (तालिका-1)।

2021-22 में स्कूलों में दाखिल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की संख्या 22.67 लाख रही। यह संख्या 2020-21 के 21.69 लाख की तुलना में 3.3 प्रतिशत अधिक है (तालिका-2)।

इसके अलावा, हाल के वर्षों में सभी स्तरों पर स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में लगातार कमी आयी है। समग्र शिक्षा जैसे कार्यक्रमों, शिक्षा का अधिकार कानून, स्कूली अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार, छात्रावास भवनों के निर्माण, शिक्षकों की उपलब्धता, नियमित शिक्षक प्रशिक्षण, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और वर्दी की व्यवस्था, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण जैसी योजनाओं ने दाखिले की दर बढ़ाने और

स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों की संख्या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

अब ज्यादातर सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय, पेयजल और हाथ धोने की जगह जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। स्वच्छ भारत मिशन में पेयजल और स्वच्छता को उच्च प्राथमिकता दी गई है। स्कूलों में इनसे संबंधित सुविधाओं के निर्माण और इसके लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था में इस मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए धन मुहैया करा रही है। वह कक्षाओं में उपयोग के लिए हार्डवेयर, निर्देशक सॉफ्टवेयर और ई-सामग्री की व्यवस्था में भी सहायता करती है।

पिछले वर्ष उठाए गए प्रमुख कदम

1. पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) : सरकार ने केंद्र प्रायोजित इस योजना की शुरुआत 7 सितंबर, 2022 को की। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पीएम श्री स्कूल एनईपी 2020 को लागू करने के मॉडल का काम करेंगे। वे अपने क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023 और 2027 के बीच स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्र के मौजूदा स्कूलों में सुधार कर 14,500 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूलों में प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, खेल उपकरण और कला कक्ष जैसी सुविधाएँ और सुगम आधुनिक अवसंरचनाएं मौजूद होंगी।





2. बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) : एनसीएफ को एनईपी 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम के नए ढांचे 5334 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें तीन से आठ साल तक के सभी बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा को शामिल किया गया है। एनसीएफ में क्रीड़ा को पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षा शास्त्र और सामग्री व्यवस्था के सैद्धांतिक, व्यावहारिक और संचालन संबंधी तौर-तरीकों के केंद्र में रखा गया है। इसमें बच्चे के संपूर्ण अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि समुदाय, अभिभावक और शिक्षक किस तरह बचपन में इच्छित विकास के परिणामों को प्राप्त करने में मददगार और संवर्धक बन सकते हैं।

3. प्रशस्त : दिव्यांगता की जांच के लिए एक मोबाइल ऐप 'प्रशस्त' को जारी किया गया है। इसमें दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 में सूचीबद्ध दिव्यांगताओं समेत 21 दिव्यांगताएं शामिल की गई हैं। प्रशस्त ऐप स्कूली स्तर पर दिव्यांगता के मसलों की पहचान करने में सहायक होगा। यह दिव्यांगता से संबंधित स्कूल-वार रिपोर्ट मुहैया कराएगा जिसे समग्र शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणन प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ साझा किया जा सकता है।

4. राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) : एनसीआरएफ में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ), राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसईक्यूएफ) को शामिल किया गया है। यह कौशल निर्माण, कौशल पुनर्निर्माण, कौशल विकास, प्रत्यायन और मूल्यांकन के लिए आच्छादन फ्रेमवर्क है। इसमें एनएसईक्यूएफ के तहत खाते में क्रेडिट अर्जन के एनईपी के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। यह युगांतरकारी कदम छात्रों को औपचारिक शिक्षा को विकसित करने और उसे अनुभवजन्य ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के प्रचुर अवसर प्रदान करेगा। इससे अनुभवजन्य ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा भी अध्ययन की मुख्यधारा में शामिल होगी। इस फ्रेमवर्क को 19 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उपलब्ध कराया गया।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत अनेक कदम उठाए गए हैं। खिलौना आधारित शिक्षा के दिशानिर्देश जारी किए गए तथा केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिकाएं स्थापित करने की प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। समुदाय के जरिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्याजलि योजना चलायी गई है।

बजट 2023-24 : एक विश्लेषण

वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पिछले बजटों में की गई शुरुआतों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस बजट से शिक्षा, कौशल उन्नयन, उद्यमिता, अनुसंधान और विकास, डिजिटल अवसररचना, हरित प्रगति तथा रोजगार सृजन को बल

मिलने की संभावना है। यह सौ साल के भारत के लिए एक सुविचारित खाका सामने रखता है। इसमें देश को प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के लिए ठोस बुनियाद रखी गई है।

बजट 2023-24 में एक ऐसे समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना की गई है जिसमें विकास के लाभ हर किसी तक पहुंच सकेंगे। इसलिए इसमें संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बुनियादी सिद्धांतों से जुड़े विभिन्न मसलों के समाधान की कोशिश की गई है। न्यायसंगतता, कार्यकुशलता और संवहनीयता के विकास के पिरामिड का इसमें खासतौर से ध्यान रखा गया है। इस बजट से कौशल विकास, शिक्षा और प्रौद्योगिकी को काफी बल मिला है।

एनईपी 2020 को लागू किए जाने के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में काफी बदलाव आ रहे हैं। इस बजट में शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। इसका उद्देश्य देश भर में न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना है। पिछले साल के बजट में पहली बार शिक्षा के लिए आवंटन 100000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा था। संघीय बजट 2023-24 में इस क्षेत्र के लिए 112899.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 13018.34 करोड़ रुपये यानी 13 प्रतिशत अधिक है। स्कूली शिक्षा विभाग को 68804.85 करोड़ रुपये और उच्चतर शिक्षा विभाग को 44094.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बजट घोषणाओं में प्राथमिकता वाले क्षेत्र

भारत की 52.3 करोड़ आबादी तीन से 23 वर्ष तक उम्र समूह की है। इसमें से भी 25.15 करोड़ जनसंख्या 15 से 25 वर्ष तक उम्र की है। यह उम्र समूह इक्कीसवीं सदी में भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी विशाल युवा आबादी की वजह से भारत जनसांख्यिकीय दृष्टि से लाभ की स्थिति में है। युवा आबादी भारत को प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित समाज में तब्दील कर देश को अमृतकाल की ओर ले जाएगी।

तालिका-2 : विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दाखिला



स्रोत : यूडीआईएसई प्लस 2021-22



उच्चतर शिक्षा के मुख्य बिंदु

उच्चतर शिक्षा के लिए 2023-24 में 44094 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह रकम 2022-23 के 40828 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 3266 करोड़ रुपये यानी 7.9 प्रतिशत अधिक है।

आईआईटी - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बजट को 1066 करोड़ रुपये यानी 12 प्रतिशत बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह 8495 करोड़ रुपये था जो 2023-24 में 9661 करोड़ रुपये हो गया।

पीएम शोध वृत्ति - इसके लिए आवंटन में 100 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसे 2022-23 में 200 करोड़ रुपये से बढ़ाते हुए 2023-24 में 400 करोड़ रुपये कर दिया गया।

एनआईटी और आईआईएसएटी - राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के बजट में 456.6 करोड़ रुपये यानी छह प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह 4364 करोड़ रुपये था जो 2023-24 में बढ़ कर 4820.6 करोड़ रुपये हो गया।

आईआईएसईआर - भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का बजट 2023-24 में 1462 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह संस्थान के लिए 2022-23 के 1379.53 करोड़ रुपये के बजट से 82.47 करोड़ रुपये यानी छह प्रतिशत अधिक है।

आईआईएससी, बंगलूरु - भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए आवंटन में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए उसे 88.15 करोड़ रुपये ज्यादा दिए गए हैं। संस्थान को 2022-23 में 727.5 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 में 815.4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

आईआईआईटी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 2023-24 के बजट में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए उन्हें 560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उनके लिए 2022-23 में 542.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस तरह संस्थानों को 17.48 करोड़ रुपये ज्यादा मुहैया कराए गए हैं।

मानविकी और समाज विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषद/संस्थान - वित्त वर्ष 2023-24 का इनका बजट 400 करोड़ रुपये का है। यह रकम 2022-23 के 311.68 करोड़ रुपये के आवंटन से 28 प्रतिशत यानी 88.32 करोड़ रुपये अधिक है।

भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान - इन संस्थानों के लिए आवंटन में 50.7 करोड़ रुपये यानी 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इनका बजट 2022-23 में 250 करोड़ रुपये था जो 2023-24 में बढ़ कर 300.7 करोड़ रुपये हो गया।

योजना और वास्तुकला विद्यालय - इन विद्यालयों के लिए 2023-24 में 175 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह रकम 2022-23 के 154.9 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत यानी 20.1 करोड़ रुपये ज्यादा है।

बजट घोषणाओं में शिक्षा को समाज के सभी तबकों तक ले जाकर समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। वर्ष 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं :

स्कूली शिक्षा

पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 की वैश्विक महामारी की वजह से स्कूलों को बंद रखना पड़ा। इससे स्कूल जाने वाले बच्चे प्रभावित हुए। खासतौर से सरकारी स्कूलों और ग्रामीण भारत में छात्रों का काफी समय बर्बाद हो गया। लगभग तीन वर्षों के अवरोधों के बाद शिक्षा क्षेत्र पटरी पर लौट रहा है। बजट में इस सिलसिले में प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय किए गए हैं जिन पर जोर दिया जाना है।

(i) शिक्षक प्रशिक्षण का नया दृष्टिकोण

एनईपी 2020 के अनुसार अगली पीढ़ी को प्रभावित करने वाले शिक्षा प्रदाताओं का पूल तैयार करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। शिक्षकों को तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शकों की दरकार है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार और जिलों के स्तर तक इसके विकेंद्रीकरण के लिए जिला स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) की कल्पना की गई है। एनईपी 2020 के अनुरूप डीआईईटी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि प्रशिक्षु और सेवारत शिक्षकों को उच्च

गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके। इस तरह डीआईईटी देश भर में शोध और शिक्षक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के प्रसार के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। बजट में शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अनुसार नई शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रमों में बदलावों, पेशेवर विकास, गहन सर्वेक्षणों तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षक प्रशिक्षण को नया रूप मिलेगा। इस लक्ष्य के लिए डीआईईटी उत्कृष्टता के जीवंत केंद्रों के रूप में विकसित होंगे।

(ii) बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी

एनईपी 2020 में सभी स्तरों के छात्रों के लिए बहुभाषी और विविधतापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता पर काफी जोर दिया गया है। सभी स्तरों के छात्रों के लिए मनोरंजक और प्रेरणादायक पुस्तकों से उनमें जिज्ञासा और ज्ञान का विकास होता है। स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय विकसित करने की योजना है जिसमें प्रतिष्ठित भारतीय और अंतरराष्ट्रीय लेखकों की कृतियां होंगी। इससे उन स्कूली छात्रों को भी किताबें पढ़ने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा जिनकी पहुँच पुस्तकालयों तक नहीं है। उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों का विस्तृत संकलन मिल सकेगा। इस राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय में ब्रेल स्वरूप में अनुवाद की भी व्यवस्था होगी। इसे सवाक पुस्तकों और



अभिगम्यता प्रौद्योगिकी से लैस किया जाएगा।

राज्यों से आग्रह किया जाएगा कि वे वार्ड और पंचायत स्तरों पर पुस्तकालय स्थापित करें। उनसे राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के संसाधनों तक पहुँच के लिए जरूरी अवसरचना प्रदान करने का अनुरोध भी किया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी), बाल पुस्तक न्यास (सीबीटी) और अन्य स्रोतों से कहा जाएगा कि वे अध्ययन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन पुस्तकालयों को क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में पाठ्यक्रम से इतर किताबें दान करें। इससे वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षा को हुई हानि की भरपाई करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में साक्षरता को बढ़ावा देने वाले गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा।

वित्त क्षेत्र के नियामकों और संगठनों से भी इन पुस्तकालयों को पाठकों की उम्र के अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा ताकि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके।

इस बजट में आकांक्षापूर्ण प्रखंडों और आदिवासी समुदायों के छात्रों को तरजीह दी गई है। सरकार ने देश के 500 प्रखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी अवसरचना जैसे क्षेत्रों में अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने के मकसद से आकांक्षापूर्ण प्रखंड कार्यक्रम शुरू किया है। इसे आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है।

सरकार समाज के अंतिम छोर तक शिक्षा की पहुँच में सुधार के लिए अगले तीन वर्षों में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मियों की नियुक्ति करेगी। इन विद्यालयों में 3.5 लाख से अधिक आदिवासी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

उच्चतर शिक्षा

सरकार नए युग की प्रौद्योगिकियों पर जोर दे रही है। यह बजट प्रधानमंत्री के जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

(i) **कृत्रिम मेधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र** : मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के नारों को वास्तविकता में तब्दील करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में तीन कृत्रिम मेधा उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान बहुविषयक अनुसंधान, अत्याधुनिक एप्लिकेशनों के निर्माण तथा संवहनीय शहरों, कृषि और स्वास्थ्य में मापनीय मुद्दों के हल के लिए मिल कर काम करेंगे। परिणामस्वरूप एक कुशल एआई तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और कार्यकुशल कर्मियों का परिपोषण होगा।

(ii) **प्रयोगशाला में विकसित हीरे (एलजीडी)** : बजट में राष्ट्र की अनुसंधान उत्कृष्टता में आईआईटी की नेतृत्वकारी

भूमिका को मान्यता दी गई है। एलजीडी की निर्माण प्रक्रिया के स्वदेशीकरण के उद्देश्य से किसी एक आईआईटी को पांच वर्षों के लिए उपकरण और अनुदान दिए जाएंगे।

(iii) **5जी सेवाएं** : विकल्पों, व्यवसाय मॉडलों और रोजगार क्षमताओं के नए स्वरूपों का फायदा उठाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी जो 5जी सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐप विकसित करेंगी। स्मार्ट कक्षा, सुनिश्चित कृषि, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित ऐप इन प्रयोगशालाओं के विषयों में शामिल होंगे। सरकार इंजीनियरी की शिक्षा को क्रांतिकारी स्वरूप देने के लिए प्रयासरत है। उभरते उद्यमों के लिए पाठ्यक्रम शुरू करने के अलावा आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर समेत इंजीनियरी संस्थानों में बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इंजीनियरी स्कूलों में 5जी प्रौद्योगिकी से संबंधित ऐप्लीकेशनों पर केंद्रित 100 प्रयोगशालाएं खुलने से रोजगार, स्टार्टअप और उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे युवा इंजीनियरों को भी नवोन्मेष और उद्यमिता के लिए प्रेरणा मिलेगी।

(iv) **राष्ट्रीय डाटा प्रशासन नीति** : अज्ञात डाटा तक सुरक्षित पहुँच के लिए एक राष्ट्रीय डाटा प्रशासन नीति बनायी जाएगी। इससे स्टार्टअप और शिक्षा जगत को नवोन्मेष और अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

इन कदमों के अलावा, चिकित्सा उपकरणों में बहुविषयक पाठ्यक्रमों और फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों से जय अनुसंधान के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। इन पहलकदमियों के लिए धन की व्यवस्था उद्योग और सरकार की ओर से की जाएगी।

निष्कर्ष

भारत ने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार 2030 तक न्यायसंगत, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के एसडीजी को हासिल करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हाल के वर्षों में सरकार की सुसंगत नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों से इन कोशिशों और उपलब्धियों में सहायता मिली है। वित्त वर्ष 2023-24 का संघीय बजट इन प्रयासों को मजबूती देने तथा एनईपी 2020 के लक्ष्यों और एसडीजी चार को प्राप्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस बजट में की गई घोषणाओं से शैक्षिक उन्नति को सहायता और मजबूती मिलेगी। बजट में बारहवीं कक्षा तक और उच्चतर शिक्षा में सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस बजट से शैक्षिक अवसरचना में सुधार आने के अलावा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अध्यापन और अध्ययन के स्तर में सुधार आएगा तथा शिक्षकों, छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।

भारत समग्र विकास के युग में प्रवेश कर चुका है और इस विकास गाथा में पूर्वोत्तर भारत एक अहम भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की दीर्घकालिक प्रगति और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में इस क्षेत्र के महत्व को लगातार दोहराया है। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को अक्सर **अष्ट**

पूर्व की ओर:

पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

लक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हुए, मोदी सरकार इसके विकास के लिए आठ मुख्य बिन्दुओं पर काम कर रही है जिसमें शांति, शक्ति, पर्यटन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल और क्षमता शामिल हैं। पूर्वोत्तर लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के नीतिनिर्धारण के केंद्र में रहा है, जो 2014 के बाद से नौ वर्षों में प्रधानमंत्री की इस क्षेत्र में की गई 50 से अधिक यात्राओं से परिलक्षित होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों से इन आठ राज्यों में तेज विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है, और 'एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थईस्ट' और 'एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थईस्ट' की ओर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है।

पूर्वोत्तर का तेज विकास पूर्वोत्तर का पहले विकास

वित्तीय सहायता से नीतिगत प्रयासों को बल देने के लिए 2014 से भारत के पूर्वोत्तर के विकास पर 3.64 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं

2014-15 और 2023-24 के बीच पूर्वोत्तर के लिए सकल बजटीय सहायता लगभग तीन गुना बढ़ी



2017 में मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (NESIDS) लॉन्च की। मार्च 2022 तक इस योजना ने क्षेत्र के पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपये की लागत वाली 145 परियोजनाओं को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर में विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल या **PM-DevINE** की घोषणा की गई थी।

2022-23 से शुरू होकर अगले चार वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ PM-DevINE पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है।

तेज गति से बढ़ता सड़क विकास

कुल:

**237 परियोजनाएं
2,750 किलोमीटर**



- पिछले 5 वर्षों में पूरी हुई परियोजनाएं
- लंबाई किलोमीटर में (अनुमानित)

83 1,240	23 530	18 280	64 280	36 250	6 110	7 60
असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	नागालैंड	मिजोरम	सिक्किम	त्रिपुरा

आधारभूत संरचना से मुख्यधारा में आ रहा पूर्वोत्तर

2014 से, पीएम मोदी के सक्षम मार्गदर्शन में, हवाई अड्डों की संख्या और राजमार्गों की लंबाई में वृद्धि, रेलवे के विस्तार और बेहतर दूरसंचार बुनियादी ढांचे के माध्यम से पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में कई गुना सुधार हुआ है।

एनईएसआईडीएस के तहत 51 सड़क और पुल परियोजनाएं, 23 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 36 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 6 बिजली परियोजनाएं और 29 शिक्षा परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

पूर्वोत्तर के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में 3 गुना वृद्धि

कुल स्वीकृत परियोजनाएं: **1,350**

- परियोजनाओं की संख्या



देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर भारत की हवाई कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की 15 हवाई संपर्क परियोजनाएं क्रियान्वयन के स्तर पर हैं।

7 नए हवाई अड्डे

पिछले 8 वर्षों में बनाए गए जिनमें लगभग **1,000 नई उड़ानें शुरू की गईं।**



रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 2014 से अब तक 51,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, डोनी पोली हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।

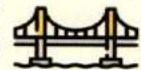


इस क्षेत्र के लिए 77,900 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की **19 नई रेलवे परियोजनाओं** को मंजूरी दी गई है।

सड़कों और पुलों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचों से पूर्वोत्तर के दूरदराज के कोनों से कनेक्टिविटी में सुधार आया है। 2015-16 में शुरू की गई नॉर्थ-ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम (NERSDS) के तहत अब तक लगभग 29 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी लागत लगभग 1,980 करोड़ रुपये है और 27 अन्य परियोजनाएं पहले से ही क्रियान्वयन के स्तर पर हैं।

1997-98 में मंजूर किया गया सबसे लंबा रोड-रेल पुल,

बोगीबील ब्रिज, आखिरकार दिसंबर 2018 में 5,920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा हुआ।



2014 से अबतक पूर्वोत्तर के

20

जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के विकास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें बांग्लादेश सीमा और सदिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के 891 किमी और लखीपुर और भांगा के बीच बराक नदी के 121 किमी के खंड को बनाने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग 16 शामिल हैं।

नागरिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए, 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना ने पूर्वोत्तर में गहरा प्रभाव डाला है।

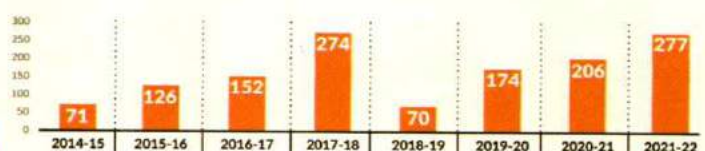
आयुष्मान भारत के तहत 2018-19 और 2021-22 के बीच पूर्वोत्तर में 10.7 लाख से अधिक मरीजों को अस्पतालों में दाखिले हुए



7,552

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत के तहत संचालित



2028 ओलंपिक खेलों के लिए 10 से 12 साल की उम्र के चैंपियन तैयार करने के उद्देश्य से 2020 में टॉप्स (TOPS) डेवलपमेंट की शुरुआत की गई थी। पूर्वोत्तर में STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (फेज़-II), पश्चिम त्रिपुरा को लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से चालू किया जा रहा है।

के विज्ञान के नौ साल

युवा उत्थान की नींव :

शिक्षा और खेल को समर्थन

मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हर घर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। उच्च शिक्षा को पूर्वोत्तर के करीब लाने और युवाओं को दूर के शहरों में जाने की आवश्यकता से बचाने के लिए,

2014 से अबतक इस क्षेत्र में **22 नए विश्वविद्यालय** स्थापित किए गए



सरकार ने पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, 2014 से अबतक लगभग 14,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लगभग 191 नए संस्थान स्थापित किए गए हैं।

2014-15 से स्थापित उच्च शिक्षा के केंद्रीय संस्थानों में **40% वृद्धि**

उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन में 29% की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र ने भारत को सिक्किम के बाईचुंग भूटिया, मणिपुर की मैरी कॉम और असम की हिमा दास जैसे कई प्रतिष्ठित खिलाड़ी दिए हैं। युवाओं को प्रेरित करने और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मणिपुर में 643 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, फरवरी 2023 से पूरे पूर्वोत्तर में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) बनाए जाएंगे



200 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र पूर्वोत्तर में मान्यता पा चुके हैं



नागालैंड के तुएनसांग में जनता से रूबरू होते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मोदी सरकार ने 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) भी शुरू की, ताकि एथलीटों को आर्थिक और अन्य रूप से ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक हासिल करने में मदद मिल सके।



2014 से स्थापित विश्वविद्यालयों की संख्या में

39% की वृद्धि

शांति, प्रगति और समृद्धि की एक नई सुबह

पूर्वोत्तर राज्यों और समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जातीय विवादों को सुलझाने के लिए मोदी सरकार ने कई पहल की हैं।

नागालैंड में उग्रवाद को कम करने के लिए भारत सरकार और नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के बीच **नागा शांति संधि**, 2015 पर हस्ताक्षर किए गए।

2006 से 2014 के बीच, पूर्वोत्तर में हिंसा और उग्रवाद की 8,700 घटनाएं दर्ज की गईं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंसक घटनाओं में लगभग 40% की कमी आई है।

मोदी सरकार ने हमेशा पूर्वोत्तर के विकास के लिए स्थानीय समुदायों और समूहों के हितों को सबसे आगे रखा है। आदिवासी रीति-रिवाजों, भाषाओं और इतिहास को बढ़ावा देने के लिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पूरे भारत में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मानित करने वाले दस संग्रहालयों की स्थापना की, जिनमें से दो मणिपुर और मिजोरम में होंगे।

मणिपुर के माखल गांव में नवंबर 2021 में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्लू को समर्पित एक संग्रहालय की आधारशिला रखी गई

पूर्वोत्तर की स्थानीय जनजातियों और समुदायों के बलिदान के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शामिल करने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम को हाल ही में परिवर्तित किया गया था। नवंबर 2022 में, लचित बोरफुकन की 400 वीं जयंती के अवसर पर, पीएम मोदी ने वीर लचित जैसे वीर सपूतों को पैदा करने के लिए असम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन जैसे मां भारती के अमर पुत्र अमृत काल के विचार को लागू करने के लिए प्रेरणा हैं।

“अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी—पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल्स की हो—पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक—पूर्वोत्तर अब देश की प्राथमिकता है।”

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अष्ट लक्ष्मी में विकास के नौ साल

2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से, पूर्वोत्तर ने स्वयं के लिए नीति, शासन और विकास में व्यापक सुधार देखा है। अष्ट लक्ष्मी, आठ स्तंभों की सहायता से, विकास के कई चरणों से गुजरती है, जिसमें युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की संभावनाएं पैदा करने में मदद की है, जिससे पूर्वोत्तर को मुख्यधारा में लाने के केंद्र के उद्देश्य को साकार किया जा सका है।

इसके अतिरिक्त, मोदी प्रशासन ने पूर्वोत्तर में स्थिरता और सुरक्षा लाई है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र था जो पहले हिंसा और उग्रवाद से परेशान था। मोदी सरकार ने हमेशा उद्यमशीलता और औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर आधुनिकीकरण हासिल करने के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखा है, साथ ही क्षेत्र के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया है। सरकार पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानियों को भी उसी शिद्दत से मान्यता देती है, जितनी वह जनजातीय संग्रहकर्ताओं और एमएसएमई (MSME) को बढ़ावा देने के दौरान प्रदर्शित करती है। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभव हुआ है जिसे भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए ध्यान में रखा है।

पर्यटन अवसंरचना और विकास को बढ़ावा

केंद्रीय बजट 2023-24 में कम-से-कम 50 गंतव्यों का चयन कर उन्हें एक सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन गंतव्यों का चयन चैलेंज मोड में किया जाएगा, जिसमें एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जबकि पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ-ही-साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा। वित्तमंत्री ने एक ऐप जारी करने का प्रस्ताव भी दिया जिसमें प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा।

घरेलू पर्यटन को मजबूती प्रदान करने के लिए, बजट 2023-24 में क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा, जिससे 'देखो अपना देश' पहल का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकेगा। वित्तमंत्री ने घोषणा

- ☞ 50 गंतव्यों को एक सम्पूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा
- ☞ पर्यटकों के अनुभवों को सुखद बनाने के लिए एक ऐप जारी किया जाएगा
- ☞ 'देखो अपना देश' पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वयन
- ☞ जीवंत ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गाँवों में पर्यटन अवसंरचना और विकास को बढ़ावा

की कि जीवंत ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गाँवों में पर्यटन अवसंरचना और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा 'देखो अपना देश' मध्यम वर्ग के

नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की अपील के मद्देनजर शुरु की गई। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए, 'स्वदेश दर्शन' योजना शुरु की गई।

राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी-अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक 'यूनिटी मॉल' स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

देश में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक आकर्षण मौजूद है। पर्यटन क्षेत्र में नौकरी और उद्यमशीलता के लिए बहुत बड़ा अवसर है विशेष रूप से युवाओं के लिए। पर्यटन के प्रचार को मिशन मोड पर किया जाएगा, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों का समावेश और सार्वजनिक-निजी साझेदारी शामिल है।



युवा शक्ति



केन्द्रीय
बजट
2023-24

अमृत पीढ़ी का सशक्तीकरण

● राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रोत्साहन योजना

- ☛ 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा

● पर्यटन को बढ़ावा

- ☛ 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा

● राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना

- ☛ एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा

2/2

संतुलित स्वास्थ्य बजट

-डॉ. मनीष मोहन गोरे

वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89155 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वास्थ्य बजट (86200.65 करोड़ रुपये) से 3.43 प्रतिशत अधिक है। आइए, जानते हैं कि इस बार भारत के आम बजट में केंद्र सरकार की किन स्वास्थ्य योजनाओं में कितना बजट आवंटित किया गया है और देश के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य से क्या कुछ नई पहल की गई हैं।

स्वास्थ्य किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है क्योंकि स्वस्थ नागरिक शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, उद्यम, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में संलग्न होकर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी करने में समर्थ होता है। वहीं दूसरी तरफ, एक अस्वस्थ नागरिक अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी का सबब बनता है। कोविड महामारी ने यह बात हमें अच्छी तरह समझा दी है। परन्तु मानवता को रोगों से बचाने की तैयारी और स्वस्थ बने रहने के लिए नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करना भी राष्ट्र और इसके स्वास्थ्य निकाय का परम दायित्व होता है। जैसाकि विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मत है कि आने वाले समय में संक्रामक रोग तथा रोगकारक सूक्ष्मजीवों का प्रकोप बढ़ेगा जिसे ध्यान में रखते हुए हमें पहले से ज्यादा सजग होने की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मंच 'जी20' में भी स्वास्थ्य के सरोकार को प्रमुख स्थान दिया जाता है। वर्ष 2023 में जी20

की अध्यक्षता की मेज़बानी का दायित्व भारत को दिया गया है और भारत इस अवसर पर वैश्विक स्वास्थ्य लचीलापन पर एक आम सहमति बनाने की योजना बना रहा है। कोविड में यह देखने को मिला था कि अलग-अलग देश के रूप में इस प्रचंड महामारी से मुकाबला संभव नहीं था। यह महसूस किया गया कि संयुक्त और सुनियोजित वैश्विक प्रतिक्रिया से आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों से मुकाबला किया जाना संभव होगा।

चूंकि स्वास्थ्य हर नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए प्रत्येक वर्ष आम बजट के दिन केंद्रीय वित्त मंत्री के अभिभाषण में लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाली घोषणाओं को जानने को उत्सुक रहते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89155 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वास्थ्य बजट (86200.65 करोड़ रुपये) से 3.43 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य सेवाओं पर 86175 करोड़ रुपये का



लेखक सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक हैं एवं 'विज्ञान प्रगति' पत्रिका के संपादक हैं।
लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : mmg@niscpr.res.in



सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल

समावेशी विकास

- स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि: वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1%
- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत
- 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना
- चुने हुए आईसीएमआर लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन
- फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत



@PIB_india @PIBIndia @pibindia @pibindia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia

बजट आवंटित है और शेष 2980 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए नियत किया गया है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अनुसंधान इकाई है जो आईसीएमआर की संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर केंद्रित अनुसंधान कार्य का संयोजन करती है। आईसीएमआर अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) के अधीन कार्य निष्पादित करता है।

आइए, जानते हैं कि इस बार भारत के आम बजट में केंद्र सरकार की किन स्वास्थ्य योजनाओं में कितना बजट आवंटित किया गया है और देश के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य से क्या कुछ नई पहल घोषित की गई हैं।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में इस योजना को आम जन के लिए एक संजीवनी के रूप में समझा जा रहा है। आम बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना को 7200 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है जो कि पिछले वर्ष से 788 करोड़ रुपये अधिक है। हालांकि गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत केवल 3115 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग में आई थी। वहीं इस बार के बजट में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 646 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

आयुष्मान भारत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

बजट 2023-24 के लिए इस योजना के अंतर्गत 341.02

करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष के इस योजना में किए आवंटन (200 करोड़ रुपये) से 70.51 प्रतिशत अधिक है। यह स्वास्थ्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश में एक डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास कर उसे सहायता प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए समाज के विभिन्न भागीदारों में स्वास्थ्य देखभाल की मौजूदा खामियों और चुनौतियों को दूर करना है।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोला जाता है जिसमें एक संख्या प्रदान की जाती है जिसकी सहायता से लाभार्थी डिजिटल तौर पर अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख और साझा कर सकते हैं। इसके द्वारा लाभार्थी किसी सत्यापित स्वास्थ्य देखभालकर्मी से संवाद कर सकता है, और बिना अवरोध के डिजिटल लैब रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्शन तथा डायग्नोसिस हासिल कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य के बजट को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.5 प्रतिशत हासिल करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

इस दृष्टि से इस बार के आम बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आवंटित धनराशि रु. 29085 करोड़ गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के इसी मद में आवंटित धनराशि रु. 28859 करोड़ से महज 0.8 प्रतिशत अधिक है। असंचारी रोगों को कम करने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में मजबूती लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु बजट आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

नए वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को दो उप-योजनाओं में विभाजित किया गया है। पहली उपयोजना स्वयं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसके लिए रु. 3365 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। दूसरी उपयोजना 22 नए एम्स स्थापित करने से संबंधित है जिसके लिए सरकार ने बजट में 6835 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने का लक्ष्य

2023 के आम बजट को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2047 (जब भारत की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे) तक देश से सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए संकल्पित है। वित्त मंत्री ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने के लिए एक मिशन को आरम्भ किया जाएगा।

सिकल सेल एनीमिया से सम्बद्ध स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित धनराशि में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में केंद्रीय स्वास्थ्य बजट का आवंटन

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित धनराशि (रु. करोड़ में)
मिशन शक्ति (महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण मिशन)	3144
मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा एवं बाल कल्याण सेवाएं)	1472
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण	11600
सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजनाएं	20554
आयुष्मान भारत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	341
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	646

केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परस्पर सहयोग से सिकल सेल एनीमिया प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 वर्ष तक की आयु के सात करोड़ लोगों में इसे लेकर जागरूकता उत्पन्न की जाएगी और रोग की जांच हेतु उनकी स्क्रीनिंग होगी।

बजट भाषण के बाद इस एनीमिया मिशन के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित 40 साल से कम उम्र के आदिवासी लोगों की जांच के बाद उन्हें कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड में उनकी सिकल सेल एनीमिया की वर्तमान स्थिति का भी उल्लेख होगा। इस मिशन के अंतर्गत मरीजों की काउंसिलिंग की जाएगी और उन्हें इस रोग के घातक प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

नए नर्सिंग कॉलेज

वर्ष 2023-24 के आम बजट में वित्त मंत्री द्वारा देश के मुख्य स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से स्थापित किए गए 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे जहां आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ, स्वास्थ्य सेक्टर में रोजगार वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित करने पर बजट में जोर दिया गया है।

इसके अलावा, इस बजट में चिकित्सा उपकरणों के लिए एक बहु-विषयात्मक (मल्टी डिसिप्लिनरी) पाठ्यक्रम का प्रस्ताव भी रखा गया है। स्वास्थ्य अनुसंधान के मौजूदा संस्थानों में यह समर्पित बहु-विषयात्मक पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा और इसके जरिए फ्यूचरिस्टिक मेडिकल टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तथा अनुसंधान के लिए कुशल मानव शक्ति तैयार की जाएगी। इस प्रकार के पाठ्यक्रम निकट भविष्य में स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

बजट में यह भी घोषणा की गई कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सेक्टर के अनुसंधान समूहों को पारस्परिक सहयोगी अनुसंधान और नवाचार के लिए भी उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा।

बाहरी अनुसंधानकर्ताओं के लिए खुलेंगे आईसीएमआर की प्रयोगशालाओं के द्वार

इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री ने एक अभिनव पहल का ऐलान करते हुए कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में मौजूद आईसीएमआर की कुछ प्रयोगशालाओं के द्वार बाहरी अनुसंधानकर्ताओं के शोध के लिए खोले जाएंगे। इस पहल से आईसीएमआर की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के प्रयोग का लाभ बाह्य शोधकर्मियों को मिल सकेगा।

आम बजट में स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है। इस दिशा में वित्त मंत्री ने एक नया कार्यक्रम आरम्भ करने की घोषणा की, जिसमें निवेश करने के लिए संबंधित उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

कोविड महामारी के लगभग समाप्त होने के बाद यह सरकार का पहला बजट है। हम सभी अवगत हैं कि वर्तमान समय में विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और विकास की गति भी धीमी है। ज़ाहिर-सी बात है कि यह कोविड महामारी के दुष्प्रभाव हैं परंतु हमारे देश भारत पर विश्व अर्थव्यवस्था की मंदी का बहुत असर नहीं हुआ है। ऐसे विकट वैश्विक परिवेश के बीच आर्थिक मंदी को नियंत्रण में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था और विकास को सुनिश्चित करने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। इस दृष्टि से, यह आम बजट एक संतुलित बजट है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बजट में वृद्धि

देश के विकास में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसमें इनको वित्तपोषित करने वाले मंत्रालयों को किए जाने वाले बजट आवंटन की अहम भूमिका होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस साल 16,361.42 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है जो कि पिछले अनुमान से 15 फीसदी अधिक है। हालांकि, 2021-22 और 2022-23 के दौरान इस मंत्रालय के आवंटन में 3.9 फीसदी की कमी देखी गई थी। इस साल बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को प्राप्त हुआ है जो कि 7,931.05 करोड़ रुपये है

वर्ष 2019 से 2023 तक भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य बजट

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (रु. करोड़ में)
2019-20	62398
2020-21	67111.8
2021-22	73931.77
2022-23	86200.65

वर्ष 2017 से 2023 तक स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु आवंटित बजट

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (रु. करोड़ में)
2017-18	1500
2018-19	1800
2019-20	1900
2020-21	2100
2021-22	2663
2022-23	2775

और डीएसटी को मिला यह बजट पिछले साल से 32.1 फीसदी अधिक है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के लिए इस बार बजट आवंटन 2,683.86 करोड़ रुपये (3.9 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के लिए 5,746.51 करोड़ रुपये (1.9 फीसदी की बढ़ोतरी) है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत 'डीप ओशन मिशन' जिसमें 'डीप-सबमर्सिबल व्हीकल' को विकसित करने वाले अन्य घटक शामिल हैं और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) को पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हासिल हुई है। यह इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार का ध्यान अनुसंधान पर केंद्रित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ के बजट में से 2000 करोड़ रुपये का आवंटन एनआरएफ के लिए किया गया है जिसकी स्थापना का मूल उद्देश्य भारत की अनुसंधान क्षमता को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने वर्ष 2021 में एनआरएफ की घोषणा की थी और इसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की थी। इसका मकसद अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त बनाने सहित अकादमी और उद्योग के मध्य लिंकेज में सुधार लाना है। एनआरएफ के अंतर्गत जो अनुदान प्रस्तावित हैं, वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक हिस्से के रूप में मिलेगा। यह एक नई योजना है जिसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान को सम्पन्न करना है। एनआरएफ को शीघ्र ही संघीय कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी।

डीएसटी के सचिव डॉ. चंद्रशेखर श्रीवरी के अनुसार एनआरएफ का लक्ष्य भारतीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शोध संस्थानों में अनुसंधान तथा नवाचार की संस्कृति का विकास करना है। एनआरएफ के प्रसंग में और इसका आरम्भिक प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2019 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान अपने भाषण में रखा था। □

फॉर्म-IV

कुरुक्षेत्र (हिंदी) मासिक पत्रिका का स्वामित्व तथा अन्य विवरण

- | | |
|---|---|
| (1) प्रकाशन का स्थान | : नई दिल्ली |
| (2) प्रकाशन की अवधि | : मासिक |
| (3) मुद्रक का नाम | : अनुपमा भटनागर |
| नागरिकता | : भारतीय |
| पता | : प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003 |
| (4) प्रकाशक का नाम | : अनुपमा भटनागर |
| नागरिकता | : भारतीय |
| पता | : प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003 |
| (5) संपादक का नाम | : ललिता खुराना |
| नागरिकता | : भारतीय |
| पता | : प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003 |
| (6) उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व/हिस्सेदार हों | : सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली-110001 |

मैं अनुपमा भटनागर एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक : 26.01.2023

अनुपमा

(अनुपमा भटनागर
प्रकाशक)

सहकारिता की नींव होगी सुदृढ़

-नीलमेघ चतुर्वेदी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्तावों में प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं (पेक्स) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना संसद के विचारार्थ रखी है। कम्प्यूटरीकरण के बाद पेक्स कार्यप्रणाली ठीक उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार आधार केंद्र या पासपोर्ट कार्यालय की। फलस्वरूप पेक्स में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, लेन-देन में शुद्धता और लाभार्जन होंगे। लगभग 13 करोड़ किसान परोक्ष रूप से बुनियाद से शीर्ष तक व्यवस्था से जुड़ेंगे। प्रत्यक्ष लाभ प्रणाली (डीबीटी) द्वारा खातों में राशि हस्तांतरण ठीक वैसे ही होगा, जैसे कि नेफ्ट या आरटीजीएस द्वारा बैंकों में होता है। किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड योजना क्रियान्वयन के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी।

केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं (पेक्स) के सुदृढ़ीकरण की दिशा में तीन महत्वपूर्ण कदम रखे हैं। ये हैं- पेक्स के लिए कम्प्यूटरीकरण परियोजना, आदर्श और लचीली उपविधियों का निर्माण और इन्हें राज्यों के विचारार्थ प्रेषित करना तथा दुग्ध सहकारी आंदोलन की तर्ज पर जैविक उत्पादों की तैयारी तथा विपणन के लिए सहकारी संरचना का गठन।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्तावों में प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं (पेक्स) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना संसद के विचारार्थ रखी है। इसके कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं के धरातल पर परियोजना की कुल लागत 2516 करोड़ रुपये है। परियोजना के जरिए तीन चरणों में 63 हजार क्रियाशील पेक्स कम्प्यूटरीकृत होंगे।

प्रत्येक पेक्स में एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं की स्थापना पर कुल 3.91 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र 60 प्रतिशत, राज्य सरकारें 30 प्रतिशत और नाबार्ड 10 प्रतिशत राशि वहन करेगा। वर्ष 2022-23 में 13 हजार, 2023-24 में 20 हजार तथा वर्ष 2024-25 में 30 हजार पेक्स कम्प्यूटरीकृत होंगे।

कम्प्यूटरीकरण के बाद पेक्स कार्यप्रणाली ठीक उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार आधार केंद्र या पासपोर्ट कार्यालय की। सदस्य-असदस्य की बायोमेट्रिक सूचनाएं पेक्स में दर्ज होंगी। व्यवहार के समय सूचनाओं के मिलान होने पर ही प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। फलस्वरूप पेक्स में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, लेन-देन में शुद्धता और लाभार्जन होंगे। अखिल भारतीय स्तर

- पेक्स में दर्ज होंगी बायोमेट्रिक सूचनाएं
- आधार और पासपोर्ट कार्यालय जैसी प्रणाली
- सूचनाओं के मिलान पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
- कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ेंगे 13 करोड़ किसान
- कम्प्यूटरीकरण परियोजना की कुल लागत 2516 करोड़ रुपये
- प्रत्येक पेक्स पर खर्च होंगे 3.91 लाख रुपये
- पेक्स उत्तरेंगी 25 नए कारोबार में



लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीडिया मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में पीएच-डी; देवी अहिल्या मीडिया स्टडीज विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : neelmeghc@gmail.com

केंद्र की योजना पेक्स को ग्राम समूह स्तर पर नोडल व्यावसायिक एजेंसी के रूप में खड़ा करने की है। मिसाइल मेन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का सपना 'पुरा' (प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटिज इन रूरल एरिया) जमीन पर उतरेगा। पेक्स उस मॉल की तरह होगी जैसे किसी शहर में होती है। तब पेक्स आत्मनिर्भर भारत, सहकार से समृद्धि और 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान के योग्य होगी।

पर पेक्स की व्यवहार प्रणाली एकरूपता धारण करेगी। लगभग 13 करोड़ किसान परोक्ष रूप से बुनियाद से शीर्ष तक व्यवस्था से जुड़ेंगे। प्रत्यक्ष लाभ प्रणाली (डीबीटी) द्वारा खातों में राशि हस्तांतरण ठीक वैसे ही होगा, जैसे कि नेफ्ट या आरटीजीएस द्वारा बैंकों में होता है। किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड योजना क्रियान्वयन के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी।

पेक्स कम्प्यूटरीकरण योजना लगभग तीन दशक पूर्व विचारों में थी, किंतु आगे नहीं बढ़ सकी। पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद देश के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह का ध्यान इस ओर गया। उसी दौर में वे अहमदाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे। सहकारिता की नस-नस से वाकिफ होने से उनका ध्यान पेक्स की सबसे बड़ी समस्या के समाधान की ओर गया। देश में कृषि सहकारी साख संरचना त्रि और द्वि-स्तरीय है। इनमें राज्य सहकारी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तो कम्प्यूटरीकृत हैं, किंतु पेक्स नहीं। कतिपय राज्यों में कुछ पेक्स का कम्प्यूटरीकरण हुआ किंतु इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एकरूपता नहीं है। नतीजतन सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं की दृष्टि से एकीकृत स्वरूप स्थापित नहीं है। नई योजना में देशभर में पेक्स और अन्य शीर्ष संस्थाओं के कम्प्यूटर संजाल एकीकृत होंगे। वर्ष 1904 के प्रथम सहकारी कानून की प्रभावशीलता के बाद पहली बार एकीकृत स्थिति बनेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पेक्स 2-3 दिन में ही नतीजे घोषित कर सकेंगी।

63 हजार पेक्स का नया अवतार

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं (पेक्स) के दिन फिरने वाले हैं। पेक्स अब दीर्घावधि के कर्ज वितरण के साथ लगभग ऐसे 25 करोड़ बार में कदम रखेंगी, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। पेक्स करोड़ों विस्तार की दिशा में बाधा बन रहे कानूनी प्रावधानों को बदलने के लिए आदर्श उपविधियां राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दी गई हैं।

आदर्श उपविधियों की तैयारी के लिए नेशनल बैंक

ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), कौंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी), वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण संस्थान (वेमिनकॉम) और राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (अपेक्स बैंक्स) की समिति गठित की गई। समिति से इस संदर्भ में सुझाव मांगे गए। समिति के सुझावों को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संबंधित घटकों को भेजा गया। इनसे प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सांकेतिक स्वरूप में भेजी गईं। वहाँ की पेक्स इन प्रारूप आदर्श उपविधियों को निश्चित ही अंगीकार करेंगी और यह कदम उनके दिन पलटाने वाला होगा। पेक्स तब कालातीत हो चुके अनुपयोगी और ऐसे कानूनों से छुट्टी पा सकेंगी, जो उनके विकास मार्ग के बीच चट्टान की तरह खड़े हैं।

आदर्श उपविधियों को अंगीकृत करने के बाद पेक्स अंधेरे कुएं से बाहर निकल विकास पथ पर तेजी से डग भरेंगी। दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाल से बाहर निकल, नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश करने पर पेक्स का नया अवतार अब सामने होगा।

सीमित कारोबारी व्यवस्था में बँधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं। परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यवधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य। केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पेक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 'सहकार से समृद्धि' में पर्याप्त योगदान करेंगी।

कई सालों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने 'पेक्स' के लिए मॉडल बिजनेस प्लान बनाए, किंतु ये वास्तविक धरातल पर नहीं उतरे। फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकी। इसका प्रभाव भी सहकारी आभामंडल के धुंधला होने की तरह सामने आया। केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया। उन्होंने संस्थानों की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव मांगे और प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर यह कदम उठाया। सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं। इन्हें लागू करना या नहीं, इसका निर्णय 'पेक्स' को ही करना है। इसमें केंद्र की बाध्यता नहीं है।

'पेक्स' अकल्पनीय क्षेत्रों में

आदर्श उपनियमों के जरिए पेक्स बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। इनमें कॉमन सर्विस सेंटर संचालन, दीर्घावधि यानी 7 से 15 साल की अवधि के कर्ज वितरण, कृषि मशीनरी,



उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप, स्वच्छता गतिविधियां संचालन, जीस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रॉण्डिंग तथा वितरण यानी मूल्यवर्धित (वेल्यू एडेड) उत्पादों की बिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना सम्मिलित है। अभी तक पेक्स केवल एक साल के अल्पावधि और 7 साल के मध्यावधि कर्ज ही दे सकती थीं। दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रुख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पेक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे। उम्मीद है कि प्रस्तावित आदर्श उपविधियों को अंगीकृत करने के बाद ये समस्याएं दूर होंगी।

जैविक उत्पाद क्षेत्र में भी 'श्वेत' जैसी क्रांति की तैयारी

केंद्र सरकार ने श्वेतक्रांति जैसी 'जैविक उत्पाद क्रांति' भारत के खेतों और बाजारों में उतारने की तैयारी की है। इसका लक्ष्य श्वेतक्रांति के समान है। यानी बिचौलियों को हटा अधिकतम लाभ किसानों के खातों में पहुँचाना। इसके लिए स्तरीय संजाल स्थापित होगा। योजना की झंडाबरदार राष्ट्रीय जैविक उत्पाद सहकारी संस्था होगी। सहकारी संरचनाओं द्वारा जैविक उत्पादों के उत्पादन, खरीद, प्रमाणन और बिक्री को बढ़ावा देने का संजाल बनेगा।

जैविक उत्पाद क्रांति के जरिए पाँच लक्ष्य साधे जाएंगे। इनमें शीर्षस्थ से धरातली सहकारिताओं में सहकारिता, मिट्टी, स्वास्थ्य पर ध्यान, रासायनिक खाद पर निर्भरता में कमी, जैविक खेती के देशी-विदेशी बाजारों की संभावनाओं का दोहन और बाजार से बिचौलियों को हटा अन्नदाता किसान को सीधे फायदा पहुँचाने जैसे उपाय सम्मिलित हैं। इन उपायों के जरिए 'आत्मनिर्भर भारत' और 'सहकार से समृद्धि' का लक्ष्य सधेगा।

भारत सरकार ने इस दिशा में प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर अखिल भारतीय स्तर की जैविक उत्पाद सहकारी समिति के गठन का निर्णय लिया है। बहुराज्यीय सहकारी संस्थाएं अधिनियम 2002 के तहत गठित इस संस्था के पाँच प्रवर्तक संस्थान हैं। केंद्र सरकार के दो सार्वजनिक उपक्रम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा तीन शीर्ष सहकारी संस्थान-गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (उत्पाद ब्रॉण्ड अमूल), नैफेड (राष्ट्रीय कृषि तथा सहकारी विपणन महासंघ) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) 20-20 करोड़ रुपये की अंशपूँजी से राष्ट्रीय सहकारी संस्था की स्थापना करेंगे। वर्तमान में किसान जैविक उत्पाद तैयार करते हैं। बिचौलिए किसानों से सस्ते में जैविक उपज खरीद प्रमाणन करवा ऊँचे दामों पर बाजार में बेचते हैं। इससे उत्पादक को कम और

बिचौलियों को अधिक फायदा होता है। प्रस्तावित बहुराज्यीय सहकारी संस्था की अधिकृत अंशपूँजी 500 करोड़ रुपये होगी, जिसमें प्रवर्तकों की प्रारंभिक हिस्सेदारी 20-20 करोड़ रुपये से धीरे-धीरे बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपये की जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रीय सहकारी संस्था के पास 500 करोड़ रुपये के अंश पूँजीगत आधार पर आ जाएंगे। साथ ही, राज्य के शीर्ष, जिला संगठनों और पेक्स के साथ अखिल भारतीय ताना-बाना तैयार होगा।

सदस्य-असदस्य होंगे प्रशिक्षित

जैविक खेती, उपार्जन, ब्रॉण्ड विकास तथा विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में देश में जैविक उत्पादों का बाजार करीब 27 हजार करोड़ रुपये का है, और इसकी सालाना विकास दर 20 से 25 प्रतिशत है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार की विकास दर (10 से 15 प्रतिशत) से काफी अधिक है। इस प्रकार भारतीय जैविक उत्पाद का घरेलू और वैश्विक परिदृश्य संभावनाओं से भरा है। इसके दोहन के लिए उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने की जरूरत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अनुभव की है। यह दायित्व भी राष्ट्रीय सहकारी संस्था अपने संजाल के जरिए वहन करेगी।

अमूल मॉडल और जैविक खेती उत्पाद

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जैविक खेती क्षेत्र में भी वही मॉडल जमीन पर उतारने की योजना बनाई है जो श्वेतक्रांति के पितामह डॉ. वर्गीस कुरियन ने दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए प्रारंभ में गुजरात की जमीन पर उतारी थी। श्वेतक्रांति का लक्ष्य बिचौलियों को हटा उत्पादक किसानों को लाभान्वित कर उपभोक्ताओं का कुपोषण दूर करना था। श्वेतक्रांति की सफलता से ग्रामीण भारत की मुंडेर पर संपन्नता के दीप जगमग हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सोच है कि अमूल मॉडल को जैविक उत्पाद के क्षेत्र में भी उतारा जाए। इससे 'सहकार से समृद्धि' का सपना और मजबूती से देश की जमीन पर उतरेगा।

क्यों है महत्वपूर्ण जैविक उत्पाद

मोदी सरकार की सॉयल हेल्थ कार्ड योजना देश की लगभग 14 करोड़ कृषि जोतों (होलिडिंग्स) के लिए बनाई गई। इससे मिट्टी की तासीर उसी प्रकार रिकार्ड पर आई जिस प्रकार इंसानों की पैथालॉजिकल रिपोर्ट। कई जोतों में जरूरत से अधिक रासायनिक खाद के चलते मिट्टी बंजर होने की स्थिति सामने आई और वहीं उपभोक्ताओं पर भी अनेक बीमारियों के हमले हुए। इस समस्या का समाधान जैविक खेती यानी प्राकृतिक खाद का उपयोग कर उत्पादन लेने और बाजार में बेचने में निहित है। राष्ट्रीय सहकारी संस्था द्वारा पेशेवर अंदाज में इसे जमीन पर उतारा जाएगा।





Dr. Vishwanath Karad
**MIT WORLD PEACE
UNIVERSITY | PUNE**
TECHNOLOGY · RESEARCH · SOCIAL INNOVATION & PARTNERSHIPS



Since 2001
**MIT School of
Government**
Bharat's First School to Create Future Political Leaders



**ADMISSIONS
OPEN 2023**

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE

SCHOOL OF GOVERNMENT

MA IN POLITICAL LEADERSHIP AND GOVERNMENT (MPG)

2 Years | 4 Semesters

HIGHLIGHTS

- + Internships at the offices of political parties & leaders
- + Election-focused study tours and internships
- + Interactive academic sessions with professors of practice
- + National Study Tour of Delhi with more than 50 interactions with MPs, ministers and party leaders
- + 100% placement assistance

CAREER PROSPECTS

- + Political Campaign Strategists
- + Political Researchers
- + Social Media Manager for Political Parties & Leaders
- + Legislative Assistants to MPs and MLAs
- + Office & Constituency Managers and more
- + Contesting elections of Lok Sabha, Vidhan Sabha, Local Government Bodies

ELIGIBILITY

- + Minimum 55% aggregate score in Graduation in any stream from a UGC approved Institution or equivalent

DEPARTMENT OF ECONOMICS & PUBLIC POLICY

BA GOVERNMENT AND ADMINISTRATION (BAGA)

4 Years | 8 Semesters
(NEP 2020 Curriculum)

HIGHLIGHTS

- + Improve readiness for UPSC Civil Services (IAS) Examination
- + Mentoring by Civil Servants and UPSC Toppers
- + Interdisciplinary study with a wide range of subject areas
- + Complete 4-year programme and apply directly to PhD

ELIGIBILITY

- + Minimum 50% aggregate score in 10+2/Class 12th or in an equivalent examination with English subject

UNIVERSITY HIGHLIGHTS



100%
INTERNSHIP
ASSISTANCE



100,000+
ALUMNI
GLOBALLY



₹ 40 Cr
MERIT BASED
SCHOLARSHIPS



IMMERSION PROGRAMME
INTERNATIONAL, NATIONAL &
RURAL

SCAN TO APPLY



admissions.mitwpu.edu.in



admissions@mitwpu.edu.in



+91-020 - 7117 7137



+91-98814 92848
(WhatsApp Message Only)

समग्र कृषि विकास का लक्ष्य

-डॉ. के. एन. तिवारी एवं हिमांशी तिवारी

बजट में घोषित डिजिटल कृषि अवसंरचना योजना से किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। इससे उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही, किसान, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृषि संवर्धन निधि बनायी जाएगी। इससे आधुनिक तकनीक को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2023 को आम बजट पेश किया। बजट में लगभग सभी तबके के लोगों को सौगात दी गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2023-24 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। प्रधानमंत्री का मानना है कि यह बजट समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है और आकांक्षी समाज, गाँव-गरीब, किसान एवं मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। इस वर्ष का बजट भारत के विकास पथ में नई ऊर्जा का संचार करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को कृषि क्षेत्र में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ओपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ओपरेटिव्स बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है।

कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए घोषणाएं

केंद्रीय बजट 2023 में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप फंड की स्थापना से लेकर कृषि ऋण में बढ़ोतरी तक, कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। केंद्रीय बजट में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,15,531.79 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले बजट में 1,10,254 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। कई नई योजनाओं को भी शुरू करने के लिए वित्तमंत्री

ने कहा है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्ययोजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या-क्या है किसानों और पशुपालकों के लिए?



भारत@100 तक की यात्रा

4 रुपांतरकारी अवसर

- महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
 - डीएवाई- एनआरएलएम के तहत 81 लाख स्वयंसहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना
- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)
 - विश्वकर्मा, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना
- पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना
- हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा

@PIB_india @PIBHindi @pibindia @pibindia PIBindia @PIB_india @PIBHindi @PIBHindi



लेखक डॉ. के.एन. तिवारी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के मृदा एवं कृषि रसायन विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। हिमांशी तिवारी कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी लेखन से जुड़ी हैं।

ई-मेल : kashinathtiwari730@gmail.com

“

इस बजट में सप्तऋषि की तरह सात प्राथमिकताएं हैं। पहली है- समग्र विकास। यह विकास

किसानों, महिलाओं, ओबीसी, एससी-एसटी, दिव्यांग जन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुँचना चाहिए। वंचितों को वरीयता मिलनी चाहिए। इसी प्राथमिकता के तहत कृषि के लिए डिजिटल लोक अधोसंरचना का निर्माण होगा। इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। किसान, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। इससे आधुनिक तकनीक को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

”

प्राकृतिक खेती: अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसके लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित माइक्रो-उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क का निर्माण करेंगे।

गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) योजना : चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए 'अपशिष्ट से आमदनी' संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का कम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।

• **मोटे अनाज को बढ़ावा :** आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस 'सुपर फूड' को 'श्री अन्न' के नाम से एक नई पहचान दी गई है। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे 'श्री अन्न' योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। 'श्री

अन्न' से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक संबल मिलेगा। हम दुनिया में 'श्री अन्न' के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। छोटे किसानों ने नागरिकों की सेहत को मजबूत करने के लिए श्री अन्न उगाया है और बड़ी भूमिका निभाई है।

मोटे अनाजों पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, जिसके तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय मिलेट्स संस्थान को खोले जाने की घोषणा की गई है। इससे मोटे अनाजों को एक अलग पहचान मिलने की बात कही जा रही है। वास्तव में वैश्विक बाजार में मिलेट्स के महत्व और उसके उत्पादन को बढ़ाने में इसकी मुख्य भूमिका होगी। इसमें भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों की उन्नत किस्मों पर अध्ययन और शोध के अलावा किसानों और अन्य विशेष समूहों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाएगी। यह देश का अब तक का पहला ऐसा संस्थान होगा जहां मिलेट्स को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा।

बागवानी विकास : सरकार ने इस बार बजट में बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके जरिए बागवानी योजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोगमुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से **आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम** शुरू किया जाएगा।

• **पीएम मत्स्य संपदा योजना :** केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला लिया है ताकि मछुआरों, मत्स्य वेंडरों और सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों की संबंधित गतिविधियों को तेज किया जा सके, मूल्य श्रृंखला की क्षमता बढ़ाई जा सके और साथ ही, बाजार का विस्तार किया जा सके। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है।

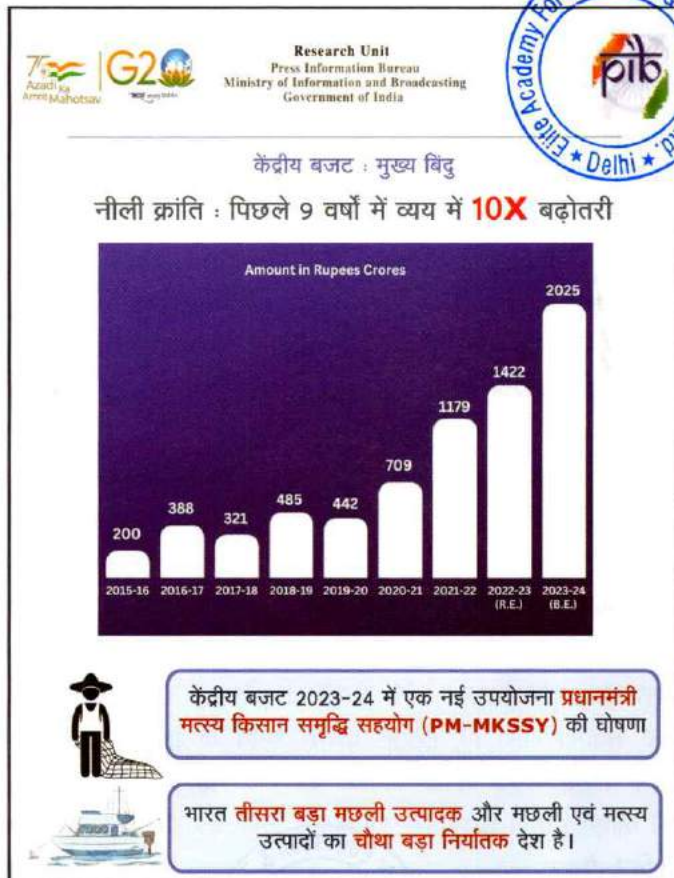
पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एससी कैटेगरी और महिलाओं को मछली पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं, अन्य सभी को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन करने का तरीका बहुत आसान है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से चलाया जा रहा है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने राज्य के मत्स्य पालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट



पर जाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालक क्रेडिट कार्ड बनवा कर इससे 1.60 लाख रुपये का ऋण बिना गारंटी के ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 3 लाख रुपये तक ऋण लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने पर अन्य ऋण स्रोतों के मुकाबले कम ब्याज देना होता है।

भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान : व्यापक विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सुरक्षित भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा : केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा-से-ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलरेटर फंड बनेगा जिसे कृषि संवर्धन निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी।



कृषि प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना : इस वर्ष के बजट में एक कृषि त्वरक कोष स्थापित करने की बात की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए नवीन और किफायती समाधान लाना है। वित्तमंत्री ने कहा, यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को भी लाएगा। एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।

- किसानों को ऋण सुविधा :** बजट 2023 में किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में संस्थागत ऋण 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया था। कृषि ऋण पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा।
- किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर :** किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।

सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना : 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्यूटीकरण किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है; इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गाँवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी।

इसके अलावा, सरकार ने इस बजट में अन्य प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, जिनका उल्लेख यहां किया जा रहा है।

- पीएम-प्रणाम-** 'पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम' राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।
- मिश्टी-** मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और



ग्रामीण पर्यटन हेतु पहल

- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गाँवों में पर्यटन के बुनियादी ढाँचे का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो, मैंग्रूव पौधारोपण के लिए 'तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव पहल 'मिश्रटी' की शुरुआत की जाएगी।

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत **हरित ऋण कार्यक्रम** को अधिसूचित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले।
- **अमृत धरोहर योजना-** इस योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।

सारांश

वर्ष 2023-24 का बजट प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के मुताबिक है। इसमें बुनियादी ढाँचे के विकास पर अधिक जोर दिया गया है जिसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों पर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप के जरिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'कृषि संवर्धन निधि' बनाने की घोषणा बजट में की गई है। इससे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नवाचार और प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मदद मिलेगी जो किसानों की कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता तथा लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेंगी। साथ ही, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन के प्रशिक्षण को शामिल करने के निर्णय से किसान प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने में सक्षम होंगे। लंबी अवधि के विकास के लिए कृषि में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। अब किसानों, एग्रीटेक स्टार्टअप और शोध संस्थानों को एक साथ लाने में इसका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। निसंदेह कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों से निपटने

में यह प्रोत्साहन काफी मददगार साबित होगा। यह नवाचार टेक्नोलॉजी को शुरू करके और उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की समस्याओं के लागत प्रभावी समाधानों को लागू करने का भी प्रयास करेगा।

खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की व्यापक योजना शुरू करने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) योजना किसानों के साथ-साथ कृषि व्यवसायियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को लाभान्वित करेगी। को-ऑपरेटिव सेक्टर के लिए घोषित की गई पहल से भी देश को काफी लाभ होगा क्योंकि सहकारी समितियों की ग्रामीण इलाकों में व्यापक उपस्थिति है।

सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, डिजिटल और हाईटेक सेवाओं के वितरण को बढ़ाने सहित ग्रामीण इलाकों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने जैसे कदमों का एग्री कंपनियों ने स्वागत किया है। हरित विकास को बढ़ावा सरकार की प्राथमिकताओं में बना रहेगा। अरंडी खली और नीम बीज खली प्राकृतिक खेती के लिए सबसे अच्छे जैविक खाद हैं और जो उनकी खपत को बढ़ावा देंगे। इस तरह अरंडी के बीज उगाने वाले घरेलू किसानों और नीम के बीज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों का समर्थन करेंगे।

ग्रामीण इलाकों में भंडारण सुविधाओं का निर्माण करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी किसानों को स्थायी रूप से सशक्त बनाएगी। उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए 'ग्रीन प्लान्ट प्रोग्राम' मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की योजना किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

यह बजट कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ज्ञातव्य है कि पहले कृषि ऋण लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये का था जिसमें एक साल में 11.11 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस राशि का उपयोग पशुपालन, मछलीपालन और डेयरी के किसान ऋण के रूप में कर सकेंगे। साथ ही, 6000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर, यह बजट कृषि क्षेत्र के लिए गेमचेंजर साबित होगा।





हमारी पत्रिकाएँ

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)



प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल | **बाल भारती**
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक (हिंदी तथा उर्दू) | बच्चों की मासिक पत्रिका (हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
<https://bharatkosh.gov.in/Product/Product>

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मनीआर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है- संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत पत्रिका भाषा में भेजें।
नाम (साफ व बड़े अक्षरों में)
पता :
..... जिला पिन
ईमेल मोबाइल नं.
डीडी/पीओ/एमओ सं. दिनांक सदस्यता सं.



कुल पृष्ठ : 56

आई.एस.एस.एन. 0971-8451

प्रकाशन की तिथि: 1 मार्च 2023

डाक द्वारा जारी होने की तिथि : 5-6 मार्च, 2023



R.N.I/708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23

Licensed under U (DN)-54/2021-23

to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

DL(DS)-49/MP/2022-23-24 (Magazine Post)



भारत 2023

**भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों,
भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा
नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
आधिकारिक जानकारी देने वाला
वार्षिक संदर्भ ग्रंथ**



ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24367260

ई-मेल : businesswng@gmail.com

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए

कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dps_india

प्रकाशक और मुद्रक: अनुपमा भटनागर, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
मुद्रक : संदीप प्रेस, सी105/2, इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-1, नारायणा, नई दिल्ली-110028

वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना